Trust Deed and Policies

न्यास विलेख और नीतियां

Ajivak Welfare and Development Research Trust

आजीवक कल्याण एवं विकास अनुसन्धान ट्रस्ट

Dedicated to all Ajivaks
सभी आजीवकों को समर्पित

First Edition संस्करण: पहला: 2021 Price मूल्य: Rs 50

Written By द्वारा लिखित

Ram Bachan राम बचन

Auther and Founder Chairman
लेखक और संस्थापक अध्यक्ष

Publisher प्रकाशक :

Ajivak Welfare and Development Research Trust
आजीवक कल्याण एवं विकास अनुसन्धान ट्रस्ट

"Ajivak Complex", Mirzapur, Pahitipur Road, PO- Bhikharipur,
Distt- Ambedkar Nagar, UP-224168,
Email- ajivaktrust@gmail.com, Web: ajivaktrust.com
Mobile: 8176075851

Printer मुद्रक:

Adarsh Printing Press,
Nai Sadak, Sahjadpur, Akbarpur,
Ambedkar Nagar-224222
Mobile:

आजीवक कौन है?

जो स्वयं के संसाधनों (समय, धन, कार्य करने की क्षमता, समझने की क्षमता और समूह बनाने की क्षमता) के अनुकूलतम उपयोग द्वारा उपयोगी कार्य करके अपने जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। कभी भीख नहीं मांगता। केवल अपने कल्याण के लिए सहयोग करता है।

आजीवक के मुख्य उद्देस्य

प्राप्त करना:-

- समान और गुणवत्तापूर्ण **शिक्षा**।
- यथोचित कम वेतन अनुपात और विकास के समान अवसर के साथ **रोजगार** की गारंटी (>18 वर्ष)।
- समान और गुणवत्तापूर्ण **स्वास्थ्य** देखभाल की सुविधा।
- समय में समान और गुणवत्तापूर्ण **न्याय**।
- सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए **समानुपातिक प्रतिनिधित्व**।

Who is an Ajivak?

One who achieves **Happiness, Well-being and Prosperity** in own life by doing useful work by optimum utilization of own **Resources** (Time, Money, Ability to Work, Ability to Understand and Ability to form Group). Never begs. Cooperates only for own welfare.

Main Objects of an Ajivak

To achieve:-

- Equal and Quality **Education**.
- Guaranteed **Employment** with reasonably Low Wage Ratio and equal opportunity to grow (>18 years).
- Equal and Quality **Health** care facility.
- Equal and Quality **Justice** in time.
- **Proportionate Representation** to set up a True Democracy.

THIS DEED OF TRUST executed this 26th day of November 2020 by **Mr. RAM BACHAN s/o Mr. DHARAM RAJ**, currently residing at **"Ajivak Mahal"**, House No: 897, Ward No:13, Ward: Mirzapur, PO: Bhikhari Pur, Distt: Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224168, India, an Indian National hereinafter referred to as **"the settlor".**

WHEREAS the settlor is desirous of creating a **public welfare trust** with the primary object of the trust to **EDUCATE, AGITATE and ORGANIZE** the human society within the **Constitutional framework of India** so that they can become **Ajivak** and achieve the target of **Happiness, Well-being and Prosperity** for themselves and for this purpose wishes to execute a requisite deed of trust, setting forth the terms and conditions and provisions for proper, permanent and efficient administration of the trust.

WHEREAS the settlor worked in a Nuclear Submarine Project, a classified project of national importance in the capacity of Scientific Officer, G in the Department of Atomic Energy from 01.08.1991 to 20.08.2018. He has been forced to take Voluntary Retirement (VRS) because of severe mental agony caused by willingly keeping him isolated and by not providing suitable work for more than two years. The settlor has developed the **Ajivak Concept** to achieve the target of **Happiness, Well-being and Prosperity**. Settlor is very much thankful to all his Ajivak ancestors without whom it would have not been possible to write this deed.

THIS TRUST DEED WITNESSES AS FOLLOWS:

1.0 NAME:

The Trust shall be called **"Ajivak Welfare and Development Research Trust"**

2.0 HEAD OFFICE:

The head office of the trust shall be at **"Ajivak Complex"**, House No: 897, Ward No: 13, Ward: Mirzapur, PO: Bhikhari Pur, Distt: Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224168, India. It may, however, with the approval of the Board of Trustees, be shifted to any place in India.

इस ट्रस्ट डीड को, नवंबर 2020 के 26 वें दिन, श्री राम बचन पुत्र श्री धर्म राज, जो एक भारतीय नागरिक हैं, द्वारा लिखा गया। वे वर्तमान में "आजीवक महल ", हाउस नंबर-897, वार्ड नंबर-13, वार्ड- मिर्जापुर, पोस्ट- भिखारी पुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश -224168, भारत, में रहते हैं और आज से इस ट्रस्ट के संस्थापक कहे जायेंगे।

जबकि संस्थापक एक लोक कल्याणकारी ट्रस्ट बनाने के इच्छुक हैं जिसका मुख्य उद्देस्य, भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर, मानव समाज को शिक्षित, आंदोलित और संगठित करना, ताकि आजीवक बन सकें और अपने लिए खुशी, सुख और समृद्धि का लक्ष्य खुद प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य के लिए वे एक अपेक्षित ट्रस्ट डीड को निष्पादित करने की इच्छा रखते हैं, जो कि ट्रस्ट के उचित, स्थायी और कुशल प्रशासन के लिए नियमों, शर्तों और प्रावधानों को सूत्र-रूप देता है।

जबकि संस्थापक ने वैज्ञानिक अधिकारी की क्षमता में, परमाणु ऊर्जा विभाग में राष्ट्रीय महत्व के परमाणु पनडुब्बी की एक गोपनीय परियोजना में 01.08.1991 से 20.08.2018 तक काम किया। उन्हें दो साल से अधिक समय तक जानबूझकर उचित कार्य न देकर और अलग-थलग रखकर गंभीर मानसिक यातना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया गया। ख़ुशी, सुख और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थापक ने आजीवक सिद्धांत को विकसित किया है। संस्थापक अपने सभी आजीवक पूर्वजों के प्रति बहुत आभारी हैं जिनके बिना यह ट्रस्ट डीड लिखना संभव नहीं होता।

यह ट्रस्ट डीड निम्नलिखित की गवाही देती है:

1.0 नाम:

इस ट्रस्ट को "आजीवक कल्याण एवं विकास अनुसंधान ट्रस्ट" कहा जाएगा।

2.0 मुख्यालय:

ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय **"आजीवक कॉम्प्लेक्स",** हाउस नंबर- 897, वार्ड नंबर-13, वार्ड- मिर्जापुर, पीस्ट- भिखारी पुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224168, भारत में होगा। हालाँकि, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी के साथ, इसे भारत के किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

3.0 THE BOARD OF TRUSTEES:

3.1 There shall be a Board of Trustees (hereinafter referred as the **"Board"**) to manage all the affairs of the trust. The **Board** shall be the supreme body of the Trust and shall govern its functioning in a manner consistent with **Ajivak Concept** set out in **Article 6.0 and** the objects set out in the **Article 7.0**, as may be amended by the Board from time to time.

3.2 The Board shall have three (3) Trustees. If the number of Trustees on the Board falls below three (3), the Board shall not act. The filling of any vacancy in the Board shall be done either by the **will** already prepared by the "**Board**" or in absence of **will** the remaining Trustee(s) shall fill the vacancy of Trustee(s). The Board shall elect a Chairperson among the trustees, who shall provide his/her services without pay.

3.3 The Board shall take its decision by consensus.

3.4 Each Trustee, except Founder Trustees, shall serve for a period of three years and shall be eligible to serve not more than two terms.

3.5 A Trustee shall cease to be in office with immediate effect on that Trustee's:

3.5.1 Resignation.

3.5.2 Death.

3.5.3 Having become insolvent.

3.5.4 Having been judged insane or otherwise incapacitated to act.

3.5.5 Having left India permanently by taking citizenship of any other country.

3.5.6 Having been completed the tenure to serve.

"Aajivak understands that the world is full of happiness, looks like hell because of his own Acts. It mainly depends on our thinking and not on the wealth"

3.0 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज:

3.1 ट्रस्ट के सभी मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (इसके बाद **"बोर्ड"** कहा जायेगा) होगा। बोर्ड ट्रस्ट का सर्वोच्च निकाय होगा और अनुच्छेद 6.0 में निर्धारित आजीवक सिद्धांत और अनुच्छेद 7.0 में निर्धारित अनुच्छेदों के अनुरूप कार्य करेगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

3.2 **बोर्ड** में तीन (3) ट्रस्टी होंगे। यदि **बोर्ड** में ट्रस्टियों की संख्या तीन (3) से कम हो जाती है तो **बोर्ड** कार्य नहीं करेगा। **बोर्ड** में किसी भी रिक्ति को भरने का कार्य या तो **"बोर्ड"** द्वारा पहले से ही तैयार विल से किया जाएगा या विल के अभाव में शेष ट्रस्टी/ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। बोर्ड न्यासियों के बीच एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा, जो बिना वेतन के अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

3.3 बोर्ड सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेगा।

3.4 प्रत्येक ट्रस्टी, संस्थापक ट्रस्टियों को छोड़कर, तीन वर्षों की अवधि के लिए सेवा करेगा और दो से अधिक अवधि के लिए पात्र नहीं होगा।

3.5 ट्रस्टी निम्न परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से कार्यालय में रहना बंद कर देगा:

3.5.1 इस्तीफा देने पर।

3.5.2 मृत्यु होने पर।

3.5.3 दिवालिया होने पर।

3.5.4 पागल होने पर या कार्य करने में अक्षम पाए जाने पर।

3.5.5 किसी अन्य देश की नागरिकता लेकर स्थायी रूप से भारत छोड़ देने पर।

3.5.6 सेवा का कार्यकाल पूरा कर लेने पर।

"आजीवक समझता है कि संसार खुशिओं से भरा है, अपने ही खुद के कृत्यों के कारण नर्क जैसा दिखता है। यह मुख्यतः हमारी सोच पर निर्भर करता है न कि धन पर"

4.0 THE FIRST BOARD OF TRUSTEES (the Founder Trustees):

Name	Ram Bachan	Atma Ram	Dr. Vardani
Address	"Ajivak Mahal" House No: 897, Ward: Mirzapur, PO: Bhikharipur, Distt: Ambedkar Nagar, UP-224168	House No. 140, Bilhar Ghat Market, Near Bilhar Ghat Railway Station, Ayodhya, Uttar Pradesh - 224171	Flat No. Coral B-304, Shalimar City, Sahibabad, Gaziabad, UP-201005
Occupation	Scientific Officer, G (Rtd.,VRS), BARC Mumbai, DAE	Scientific Assistant, F (Rtd.), IGCAR, Kalpakkam, DAE.	Additional Director (Rtd.), Department of Rural Development, UP
Designation	Trustee & Chairman	Trustee	Trustee

5.0 TRUST FUND:

5.1 The settlor of the Trust hereby sets apart a sum of Rs. 5000 (Rupees five thousand only) to be held as the corpus for the purposes of the Trust. The Trust may also receive funds from other sources, further co-operations and contributions which would form a part of the corpus of the Trust if so directed.

"An Ajivak never does anything for others but only for own welfare and development for the present life."

4.0 पहले बोर्ड के ट्रस्टीज (संस्थापक ट्रस्टीज़):

नाम	राम बचन	आत्मा राम	डॉ. वरदानी
पता	**"आजीवक महल"** हाउस नंबर- 897, वार्ड- मिर्जापुर, पोस्ट - भिखारीपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, यूपी -224168	हाउस नंबर- 140, बिल्लहर घाट मार्केट, बिल्लहर घाट रेलवे स्टेशन के पास, जिला- अयोध्या, यूपी - 224171	फ्लैट - कोरल B-304, शालीमार सिटी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, यूपी -201005
व्यवसाय	वैज्ञानिक अधिकारी, G (Rtd., VRS), BARC मुंबई।	वैज्ञानिक सहायक, F (Rtd.), IGCAR, कल्पक्कम, DAE	अतिरिक्त निदेशक (Rtd.), ग्रामीण विकास विभाग, यूपी
पदनाम	ट्रस्टी और अध्यक्ष	ट्रस्टी	ट्रस्टी

5.0 ट्रस्ट निधि:

5.1 संस्थापक ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए रू 5000 (केवल पांच हजार रुपये) को कॉर्पस के रूप में रखेगा। ट्रस्ट अन्य स्रोतों, सहयोग और योगदान से भी धन प्राप्त कर सकता है जो ट्रस्ट के कॉर्पस का एक हिस्सा बनेंगा, अगर ऐसा निर्देश दिया जाए।

"एक आजीवक कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं करता बल्कि केवल अपने वर्तमान जीवन के कल्याण और विकास के लिए करता है।"

5.2 The **Board** shall establish a Trust Fund to hold all future co-operations and contributions to this Trust made by the **Settlor**, **Trustees**, all **Ajivak Members**, **Ajivak Councils**, any dividends, interest and all other incomes therefrom and the additions and other investments thereof, or any other property or investments of any kind whatsoever into which the same or any part thereof might be converted, invested or varied from time to time or which may be acquired by the Trustees or may come to their hands in any manner as provided in this Trust Deed, by operation of law or otherwise, and the Trustees shall hold and stand possessed of the same subject to the powers, provisions, agreements and declarations hereinafter contained.

5.3 The Trust shall receive all co-operations, contributions and movable and/or immovable assets as trust property for retention, maintenance and use by the Trust.

5.4 The Trustees shall manage and administer the corpus, the Trust Fund and income thereof subject to and in conformity with the provisions of this Trust deed, the rules and regulations as approved by the Board, the provisions of the Income Tax Act, 1961, as may be amended from time to time and other applicable laws if any. The Board shall approach the concerned authorities for registration under the Indian Registration Act, 1908, Income Tax Act 1961 and seeking exemption from Income Tax for contributions made by any person(s).

5.5 The Trust fund shall be accumulated and utilized in India for the objects of the Trust as set out in **Article 7.0**.

5.6 At present, there is no movable/immovable property on the name of this trust.

6.0 AJIVAK CONCEPT:

6.1 Definitions:

6.1.1 Ajivak / Arjak: He or she is an independent person who earns his livelihood by doing useful work by optimum utilization of his/her **resources**.

5.2 बोर्ड एक ट्रस्ट निधि स्थापित करेगा जिसमे संस्थापक, ट्रस्टीज, आजीवक सदस्यों, आजीवक परिषदों से भविष्य में प्राप्त सहयोग और योगदान, किसी भी लाभांश, ब्याज और अन्य सभी आय, उसके और अन्य निवेशों द्वारा प्राप्त आय, किसी भी अन्य संपत्ति या किसी भी प्रकार का निवेश जिसमें कोई भी या उसके किसी भी हिस्से को समय-समय पर परिवर्तित, निवेश या बदला गया हो या जिसे ट्रस्टीज़ द्वारा अधिग्रहित किया हो या किसी भी तरीके से ट्रस्ट डीड, कानून के संचालन से उनके हाथों में आया हो, को जमा किया जायेगा। ट्रस्टीज इसके अधीन शक्तियों, प्रावधानों, समझौतों और घोषणाओं के सीमा के अंदर रहकर इस निधि को रखे रहेंगे।

5.3 ट्रस्ट सभी सहयोग, योगदान और चल और/या अचल संपत्ति, ट्रस्ट द्वारा बनाए रखने, रखरखाव और उपयोग के लिए ट्रस्ट संपत्ति के रूप में प्राप्त करेगा।

5.4 ट्रस्टीज़, इस कोष, ट्रस्ट निधि और इससे प्राप्त आय का, ट्रस्ट विलेख के प्रावधानों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों और विनियमों, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों जो समय-समय पर संशोधित किया गया हो या अन्य लागू कानूनों के अनुसार, प्रबंधन और प्रशासन करेगें। बोर्ड भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908, आयकर अधिनियम 1961 के तहत पंजीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान के लिए आयकर से छूट की मांग करेगा।

5.5 ट्रस्ट निधि को, भारत में, ट्रस्ट के अनुच्छेद 7.0 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए संचित और उपयोग किया जाएगा।

5.6 वर्तमान में, इस ट्रस्ट के नाम पर कोई चल / अचल संपत्ति नहीं है।

6.0 आजीवक सिद्धांत:

6.1 परिभाषाएँ:

6.1.1 **आजीवक / अर्जक** : वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो अपने **संसाधनों** के अनुकूलतम उपयोग द्वारा उपयोगी कार्य करके अपनी आजीविका कमाता है।

6.1.2 Ajivak Ratna: The one, being a true Ajivak, who has made extraordinary contribution in making Ajivaks in a Muhalla, Village, Block, District, State or National level will be awarded with Muhalla Ajivak Ratna, Village Ajivak Ratna, Block Ajivak Ratna, District Ajivak Ratna, State Ajivak Ratna or National Ajivak Ratna accordingly.

6.1.3 Resources: Every human has following five resources (1) Time, (2) Money, (3) Ability to work, (4) Ability to think and understand and (5) Ability to form group.

6.1.4 Niayati/Vidhi: The **Law of Nature** which governs the human life.

6.1.5 Work: (To do) the specific task by employing Physical and Mental Powers.

6.1.6 Individual Work: Any work done for self welfare by utilization of only own resources.

6.1.7 Social/Public Work: Any work which is beneficial for majority people including the performer. Social/Public work can't be done by individual but by the group of people. Any work which is beneficial to majority people and not for the performer is not a Social/Public work. Social/Public work is performed by optimum utilization of resources obtained jointly from majority people (beneficiaries).

6.1.8 Work of a Non-Ajivak, a Nikamma, a Corrupt, a Thief, a Cheater, a Thug, a Looter or an Exploiter: Any work done for self welfare by utilization of others resources.

6.1.9 Social and Scientific Research: It is the process of achieving the target of Happiness, Well-being and Prosperity (Welfare) by doing useful work by optimum utilization of our resources. It is measured by Human Development Index (HDI), Happiness Index (HI), Hunger Index, average life expectancy, level of education, health facilities, justice system, employment and further opportunities to grow, Wage Ratio, Crime Index, Democracy Index (DI) etc.

6.1.2 आजीवक रत्न: एक सच्चा आजीवक होने के नाते, जिसने किसी मुहल्ले, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आजीवक बनाने में असाधारण योगदान दिया है उसे तदनुसार मुहल्ला आजीवक रत्न, ग्राम आजीवक रत्न, ब्लॉक आजीवक रत्न, जिला आजीवक रत्न, राज्य आजीवक रत्न या राष्ट्रीय आजीवक रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

6.1.3 संसाधन: प्रत्येक मानव के पास निम्नलिखित पाँच संसाधन हैं (1) समय, (2) धन, (3) कार्य करने की क्षमता, (4) सोचने और समझबूझकर महसूस करने की क्षमता और (5) समूह बनाने की क्षमता।

6.1.4 नियति/विधि: प्रकृति का वह नियम जो मानव जीवन को नियंत्रित करता है।

6.1.5 कार्य: शारीरिक और मानसिक शक्तियों को नियोजित करके विशिष्ट गतिविधियां (करना)।

6.1.6 व्यक्तिगत कार्य: स्वयं के संसाधनों के उपयोग से खुद के कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य।

6.1.7 सामाजिक/सार्वजनिक कार्य: कोई भी कार्य जो कर्ता सहित बहुसंख्यक लोगों के लिए फायदेमंद हो। सामाजिक/सार्वजनिक कार्य व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। कोई भी कार्य जो बहुसंख्यक लोगों के लिए फायदेमंद है और कर्ता के लिए नहीं, सामाजिक/सार्वजनिक कार्य नहीं है। सामाजिक/सार्वजनिक कार्य बहुसंख्यक लोगों (लाभार्थियों) से संयुक्त रूप से प्राप्त संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा किया जाता है।

6.1.8 परजीवक, निकम्मा, भ्रष्ट, चोर, धोखेबाज, ठग, लुटेरा या शोषण करने वाले का कार्य: दूसरों के संसाधनों के उपयोग से खुद के कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य।

6.1.9 सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान: यह हमारे संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा उपयोगी कार्य करके खुशी, सुख और समृद्धि (कल्याण) के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसे मानव विकास सूचकांक (HDI) , हैप्पीनेस इंडेक्स (HI), हंगर इंडेक्स, औसत जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं, न्याय प्रणाली, रोजगार और आगे बढ़ने के अवसरों, वेज रेशियो (WR), क्राइम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स (DI) आदि द्वारा मापा जाता है।

6.1.10 Welfare: Every human wants **happiness**, **well-being** and **prosperity** for self first and then for his family, his village, his block, his district, his state, his country and his world in that order (Everything for his own welfare only). Existing and new scientific and social researches shall be used to achieve it.

6.1.11 Happiness: It is a mental state which comes after completion of useful work. Happy mind develops healthy body. Therefore to achieve happiness we must do useful work. It is necessary to have minimum amount of well-being (physical health) to achieve happiness (mental health). Happiness depends on the level of freedom (Social, Cultural, Economic and Political) one achieved while performing any useful work.

6.1.12 Well-being: The supply of optimum quantity of nutrients and amenities to the body to maintain perfect health condition e.g. food, shelter, clothing, security, education, employment, medical facilities, justice, transportation, pollution free environment etc. There is optimum level of wellbeing.

6.1.13 Prosperity: The availability of well-being for a particular time period =Well-being x Time.

6.2 To achieve the target of **happiness**, **well-being** and **prosperity**, the following articles of the Constitution of India (101st Amendment Act 2016) are applicable within the **reasonable restrictions** for all its citizens.

6.2.1 Article 14: The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India.

6.2.2 Article 15: Prohibition of discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or birth place or any of them. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision, byelaws, for advancement of SC, ST, OBC, women and children.

6.1.10 कल्याण: प्रत्येक मानव पहले अपने लिए फिर इसी क्रम में अपने परिवार, अपने गाँव, अपने ब्लॉक, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश और अपनी दुनिया के लिए ख़ुशी, सुख और समृद्धि चाहता है (सब कुछ अपने खुद के कल्याण के लिए)। इसे प्राप्त करने के लिए मौजूदा और नए वैज्ञानिक और सामाजिक शोधों का उपयोग किया जाएगा।

6.1.11 खुशी: यह एक मानसिक स्थिति है जो उपयोगी कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त होती है। सुखी मन से स्वस्थ शरीर का विकास करता है। इसलिए खुशी हासिल करने के लिए हमें उपयोगी कार्य करना चाहिए। खुशी (मानसिक स्वास्थ्य) प्राप्त करने के लिए सुख (शारीरिक स्वास्थ्य) की न्यूनतम मात्रा होना आवश्यक है। खुशी किसी भी उपयोगी कार्य को करते समय प्राप्त की गई स्वतंत्रता (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक) के स्तर पर निर्भर करती है।

6.1.12 सुख: संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को बनाए रखने के लिए शरीर को पोषक तत्वों और सुविधाओं की अनुकूलतम मात्रा की आपूर्ति को सुख कहते हैं। जैसे - भोजन, आश्रय, कपड़े, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं, न्याय, परिवहन, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि। सुख का एक अनुकूलतम अस्तर होता है।

6.1.13 समृद्धि: किसी विशेष समय अवधि के लिए सुख की उपलब्धता।
समृद्धि = सुख **x** समय

6.2 ख़ुशी, सुख और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत के संविधान (101 वां संशोधन अधिनियम 2016) के निम्नलिखित अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए, उचित प्रतिबंधों के भीतर, लागू हैं।

6.2.1 अनुच्छेद 14: राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

6.2.2 अनुच्छेद 15: केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, उपनियम बनाने से नहीं रोकेगी।

6.2.3 Article 16: Equal opportunity in matters of public employments without any discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for the reservation of appointment, promotion with consequential seniority including filling of backlog vacancies for BC (SC, ST and OBC) which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services of the State.

6.2.4 Article 19 (a): Freedom of speech and expression.

6.2.5 Article 19 (b): Freedom of assembly peacefully without arms.

6.2.6 Article 19 (c): Freedom to form associations or unions.

6.2.7 Article 19 (d): Freedom to move freely throughout the territory of India.

6.2.8 Article 19 (e): Freedom to reside and settle in any part of the territory of India**.**

6.2.9 Article 19 (g): Freedom to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

6.2.10 Article 20: Protection in respect of conviction for offences. No person shall be convicted of any offence except for violation of law.

6.2.11 Article 21: Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It's to protect all from the Death trap by assuring minimum well-being.

6.2.12 Article 21-A: Right to education. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

6.2.13 Article 22: Protection against arrest and detention in certain cases.

6.2.14 Article 23: Prohibition of traffic in human being and forced labour.

6.2.3 अनुच्छेद 16: केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के बिना सार्वजनिक नियोजन के मामलों में समान अवसर । इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को नियुक्ति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति जिसमें **BC** (**SC**, **ST** और **OBC**) के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरना भी शामिल है, जो राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेंगी।

6.2.4 अनुच्छेद 19 (a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

6.2.5 अनुच्छेद 19 (b): बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सम्मलेन करने की स्वतंत्रता।

6.2.6 अनुच्छेद 19 (c): संघों या यूनियनों के गठन की स्वतंत्रता।

6.2.7 अनुच्छेद 19 (d): पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता।

6.2.8 अनुच्छेद 19 (e): भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।

6.2.9 अनुच्छेद 19 (g): किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी व्यवसाय, व्यापार या रोज़गार को करने की स्वतंत्रता।

6.2.10 अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

6.2.11 अनुच्छेद 21: जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। यह अनुच्छेद सभी को मौत के फंदे से बचाने के लिए न्यूनतम सुख का आश्वासन देने के लिए है।

6.2.12 अनुच्छेद 21-ए: शिक्षा का अधिकार। राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे, प्रदान करेगा।

6.2.13 अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।

6.2.14 अनुच्छेद 22: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध।

6.2.15 Article 24: Prohibition of employment of children in factories etc bellow the age of fourteen years (for Ajivaks it's eighteen years).

6.2.16 Article 25: Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

6.2.17 Article 38(1): The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all institutions of the national life.

6.2.18 Article 38(2): The State shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different avocations.

6.2.19 Article 39: Certain principles of policies to be followed by the State - The state shall, in particular, direct its policy towards securing-

6.2.20 Article 39(a): That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood

6.2.21 Article 39(b): That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good.

6.2.22 Article 39(c): That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.

6.2.23 Article 39(d): That there is equal pay for equal work for both men and women.

6.2.24 Article 39(e): That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.

6.2.15 अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर चौदह वर्ष की आयु तक प्रतिबंध (आज़ीवकों के लिए यह अठारह वर्ष है)।

6.2.16 अनुच्छेद 25: अंतःकरण की आवाज़ और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

6.2.17 अनुच्छेद 38(1): राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का भरसक प्रयास करेगी।

6.2.18 अनुच्छेद 38(2): राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानतावों को समाप्त करने का प्रयास करेगी।

6.2.19 अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत - राज्य, अपनी नीति का, विशेष रूप से, इस प्रकार संचालन करेगी जिससे निम्न को सुनिश्चित किया जा सके।

6.2.20 अनुच्छेद 39(a): सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं, को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है।

6.2.21 अनुच्छेद 39(b): समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वंटा हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित की उपलब्धि हो सके।

6.2.22 अनुच्छेद 39(c): आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो सके।

6.2.23 अनुच्छेद 39(d): पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है।

6.2.24 अनुच्छेद 39(e): स्त्री और पुरुष श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी उम्र या शक्ति के अनुकूल न हो।

6.2.25 Article 39(f): That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

6.2.26 Article 39-A: Equal justice and free legal aid.

6.2.27 Article 40: Organization of village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self governance.

6.2.28 Article 41: Right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of underserved want.

6.2.29 Article 42: Provision for just and humane condition of work and maternity relief.

6.2.30 Article 43: Living wage, etc., for workers.

6.2.31 Article 43-A: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry.

6.2.32 Article 44: The State shall endeavour to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

6.2.33 Article 45: The State shall endeavour to provide early childhood care and education to children below the age of six years.

6.2.34 Article 46: The State shall promote with special care the educational and economic interest of **weaker sections** of people, and, in particular of BC (the SC, the ST and the OBC), and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

6.2.35 Article 47: Duty of the State to raise the level of nutrition and standard of living and improve public health as among its primary duties and, in particular, to prohibit the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to the health.

6.2.25 अनुच्छेद 39(f): बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जायें और बच्चों और युवाओं को शोषण से तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से रक्षा की जाय।

6.2.26 अनुच्छेद 39-A: समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता।

6.2.27 अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करना जो उन्हें स्वायत्य शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

6.2.28 अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता और अनियंत्रित अन्य मामलों में रोज़गार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार।

6.2.29 अनुच्छेद 42: काम और मातृत्व राहत के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थिति का प्रावधान।

6.2.30 अनुच्छेद 43: मजदूरों के लिए गुज़र-बसर का वेतन आदि।

6.2.31 अनुच्छेद 43-A: राज्य, उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से, किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।

6.2.32 अनुच्छेद 44: राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगी।

6.2.33 अनुच्छेद 45: राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगी।

6.2.34 अनुच्छेद 46: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के, विशेष रूप से **BC** (**SC**, **ST** और **OBC**) के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

6.2.35 अनुच्छेद 47: लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों में मनना राज्य का कर्त्तव्य है और राज्य, विशेष रूप से, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के, औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी।

6.2.36 Article 330, 332: Proportionate representation of seats in any State or Union territory or in the House of the People or autonomous districts of Assam for the SC, the ST and the OBC shall be in the same proportion based on last census.

6.2.37 Article 338(10): In this article, reference to the Scheduled Castes shall be construed as including references to such Other Backward Classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of the article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community

6.2.38 Article 348(3) Throughout India, the English language shall be the authoritative language in case of any conflict. Under this clause, a farmer will be only farmer in every state though known by different names in their respective state official languages (only translation and no transcription allowed).

6.3 From the above articles in **Para 6.2** it's very clear that our **Constitution**, **under an agreement with the people of India**, directs the state to strive to provide the following for all, within reasonable restriction, without any discrimination, so that we can earn our livelihood our own and achieve the target of happiness, wellbeing and prosperity ie to make us an **Ajivak / Arjak**.

6.3.1 Equal and quality education to develop complete understanding about our Strength, Weaknesses, Opportunities and Threat (SWOT), our rights and our duties and the duty of our representatives so that we can take right decision and earn our livelihood by our own.

6.3.2 Guaranteed Employment with reasonably low **wage ratio** (May be 10 or lower) above the age of 18 years and equal opportunity to grow. Wage Ratio = Maximum Pay/Minimum Guaranteed Pay for any employment in India (Government or Private).

6.3.3 Quality and equal health care facility at reasonably low /affordable cost.

6.3.4 Quality and Equal justice in time at reasonably low /affordable cost.

6.2.36 अनुच्छेद 330, 332: SC, ST और OBC के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या लोगों के सदन या असम के स्वायत्त जिलों की सभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पिछली जनगणना के आधार पर उसी अनुपात में होगा।

6.2.37 अनुच्छेद 338 (10): इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जाति के संदर्भ में ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ शामिल किए जाएंगे, जैसा कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 340 खंड (1) के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए भी।

6.2.38 अनुच्छेद 348 (3): पूरे भारत में, किसी भी टकराव के मामले में अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा होगी। इस खंड के तहत, प्रत्येक राज्य में एक किसान केवल किसान होगा, जिसे उनके संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है (केवल अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति नहीं)।

6.3 उपरोक्त पैरा 6.2 के अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि हमारा संविधान, भारत के लोगों के साथ एक समझौते के तहत, राज्य को निर्देश देता है कि वह बिना किसी भेदभाव के, सभी के लिए, उचित प्रतिबंध के तहत, निम्नलिखित को दिलाने का प्रयास करे, ताकि हम अपनी आजीविका खुद कमा सकें और अपने लिए ख़ुशी, सुख और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यानी हमें एक आज़ीवक / अर्जक बनाने के लिए।

6.3.1 हमारी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों (SWOT), हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों और हमारे प्रतिनिधियों के कर्तव्य के बारे में पूरी समझ विकसित करने के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

6.3.2 18 वर्ष की आयु से अधिक, कम वेतन अनुपात (10 या उससे कम) के साथ रोजगार की गारंटी और समान विकास का अवसर। **वेतन अनुपात** = भारत में किसी भी रोजगार के लिए अधिकतम वेतन / न्यूनतम गारंटी वेतन (सरकारी या निजी)।

6.3.3 गुणवत्तापूर्ण और समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधा काफी कम / सस्ती लागत पर।

6.3.4 गुणवत्तापूर्ण और समय पर, काफी कम/सस्ती लागत पर, समान न्याय।

6.3.5 Proportionate representation to set up true democracy (A form and a method of Government whereby revolutionary changes in the social life are brought about without bloodshed).

6.4 Quality of an Ajivak:

6.4.1 An **Ajivak** will spend his resources only for his own welfare and if excess then spend for public works to get his own welfare in it. It must be clearly understood that by giving your resources to others you are not only wasting your resources but making them Nikamma (Non-Ajivak).

6.4.2 An **Ajivak** will never fight against anybody but strive for optimum utilization of his resources for self welfare and development. He will neither give nor receive anything free but co-operate with others for joint welfare and development (Social/Public Work).

6.4.3 An **Ajivak** will never spend his resources to achieve Heaven, Swarg, Jannat etc which, he understands are imaginary and/or unknown.

6.4.4 An **Ajivak** understands that everything is governed by the **Law of Nature,** the law given by **Hon. Makkhali Gosal (560 to 484 BC),** the founder of **Ajivak Philosophy**. As a human, being a part of nature, he is responsible for all his acts in achieving his welfare.

6.4.5 An **Ajivak** understands very clearly that nothing is permanent in this world i.e. the **law of nature.**

6.4.6 An **Ajivak** will never do anything without understanding, no matter if it is said by any great person or authority, i.e. he will act on the principle of first understand then work.

6.3.5 सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (सरकार का एक रूप और तरीका जिससे सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव बिना खून-खराबे के लाए जाते हैं)।

6.4 आजीवक की गुण:

6.4.1 आजीवक अपने संसाधनों को केवल अपने कल्याण के लिए खर्च करेगा और यदि अतिरिक्त होगा तो उसको अपना कल्याण पाने के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए खर्च करेगा। यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि दूसरों को अपने संसाधन देकर आप न केवल अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें निकम्मा (परजीवक) बना रहे हैं।

6.4.2 एक आजीवक कभी किसी के खिलाफ नहीं लड़ेगा बल्कि अपने कल्याण और विकास के लिए अपने संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास करेगा। वह दूसरों से न कुछ मुफ्त में लेगा न मुफ्त में देगा बल्कि संयुक्त कल्याण और विकास (सामाजिक / सार्वजनिक कार्य) के लिए दूसरों के साथ सहयोग करेंगा।

6.4.3 आजीवक हेवेन, स्वर्ग, जन्नत इत्यादि, जिसे वह काल्पनिक और / या अज्ञात समझता है, को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों को कभी खर्च नहीं करेगा।

6.4.4 आजीवक समझता है कि सब कुछ प्रकृति के नियम, आजीवक दर्शन के संस्थापक माननीय मक्खली गोसाल (560 से 484 ईसा पूर्व) द्वारा दिए गए नियम, द्वारा शासित है। एक मानव के रूप में, प्रकृति का हिस्सा होने के नाते, वह अपने कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

6.4.5 आजीवक बहुत स्पष्ट रूप से समझता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है यानी प्रकृति का नियम।

6.4.6 आजीवक कभी भी बिना समझे और महसूस किये कुछ नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी महान व्यक्ति या अधिकारी द्वारा कहा गया हो, यानी वह पहले समझकर महसूस करो फिर काम करो के सिद्धांत पर कार्य करेगा।

6.4.7 An **Ajivak** completely understands and follows that there is no super natural power that can do anything bad or good for him. Everything is governed by the **Nature** and it reacts according to **Human Action** to maintain the balance. When one acts against his own welfare (Against the Nature) the **Nature** reacts accordingly to counter it which further causes harm to him.

6.4.8 An **Ajivak** understands that any religion, belief or faith which does not allow its members to think free and apply their mind for their welfare but forces them to follow their Guru, Super Natural powers or their representatives, is a blind faith and unscientific and keeps himself/herself away from such religion, belief or faith.

6.4.9 An **Ajivak** understands **the law of nature** (fig-1)**,** any act which is beneficial for one is beneficial for others and vice versa. It is not possible for any act to be beneficial for one and harmful for others and vice-versa. Since it is very difficult to judge the beneficial effect of any act on others, it is advised to make optimum utilization of our resources for our own welfare only.

Win- Win (exists)	**Lose-Win (does not exist)**
Win-Lose (does not exist)	**Lose-Lose (exists)**

Fig. 1 The Law of Nature

6.4.7 एक आजीवक पूरी तरह से समझता है और उसका अनुसरण करता है कि कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं है जो उसके लिए कुछ भी बुरा या अच्छा कर सके। सब कुछ प्रकृति द्वारा शासित है और यह संतुलन बनाए रखने के लिए मानव क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। जब कोई अपने स्वयं के कल्याण के विरुद्ध कार्य करता है (प्रकृति के विरुद्ध) तो प्रकृति इसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिक्रिया करती है जो आगे चलकर उसे नुकसान पहुँचाती है।

6.4.8 एक आजीवक समझता है कि कोई भी धर्म, विश्वास या आस्था जो उसके सदस्यों को स्वतंत्र सोचने और उनके कल्याण के लिए अपना दिमाग लगाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उन्हें अपने गुरु, अलौकिक शक्तियों या उनके प्रतिनिधियों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, एक अंध विश्वास और अवैज्ञानिक है और इस तरह के धर्म, विश्वास या आस्था से खुद को दूर रखता है।

6.4.9 आजीवक प्रकृति के नियम (चित्र -1) को समझता है, कोई भी कार्य जो किसी के लिए फायदेमंद होता है दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। किसी भी कार्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक के लिए फायदेमंद हो और दूसरे के लिए हानिकारक हो और इसके विपरीत। चूँकि किसी भी कृत्य का दूसरों पर लाभकारी प्रभाव को आंकना बहुत कठिन है, इसलिए हमारे स्वयं के कल्याण के लिए हमारे संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

जीत- जीत (मौजूद))	हार-जीत (मौजूद नहीं है)
जीत-हार (मौजूद नहीं है)	हार-हार (मौजूद)

चित्र -1 प्रकृति का नियम

6.5 USEFUL WORK (a few examples):

6.5.1 To decide the date and time of your programmes (such as marriage, death, house ceremonies etc) as per your own convenience.

6.5.2 To conduct Marriage as per **Arjak / Ajivak System** (any system without involving any supernatural believes) between 21 (18 for female) to 30 years of age (most preferably between 21-25 years).

6.5.3 To dispose dead body at the earliest by most scientific means such as handing over to any hospital for research or burying under the ground etc and only condolence meeting shall be conducted after the death as early as possible.

6.5.4 To provide quality and equal education for your children of their choice without any discrimination.

6.5.5 To provide equal right in your property (self acquired or ancestral) for your children irrespective of their sex.

6.5.6 To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life.

6.5.7 To uphold and protect the unity and integrity in **Muhalla/Village/Ward/Block/ District/State/National** level in the same order.

6.5.8 To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all Ajivaks.

6.5.9 To develop the scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform.

6.5.10 To honor and promote the views of the great thinkers (**Ajivaks**) of the country who worked/fought to achieve humanism.

6.5.11 To vote only those local **ajivak leaders**, who are well versed with the region, residing permanently in the corresponding region, without taking any resource/illegal favours from them.

6.5.12 To form a group in your Muhalla and elect the best Ajivak amongst yourself as executive members of **Muhalla Ajivak Council**.

6.5 उपयोगी कार्य (कुछ उदाहरण):

6.5.1 अपने कार्यक्रमों की तिथि और समय (जैसे विवाह, मृत्यु, गृह समारोह आदि) अपनी सुविधानुसार तय करें।

6.5.2 21 साल (महिला के लिए 18 वर्ष) से 30 साल बीच अर्जक / आजीवक प्रणाली (किसी भी अलौकिक विश्वास को शामिल किए बिना) के अनुसार विवाह का संचालन करना (सबसे बेहतर उम्र 21-25 वर्ष के बीच)।

6.5.3 सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि द्वारा मृत शरीर को जल्द से जल्द निपटाना। जैसे किसी भी अस्पताल को अनुसंधान के लिए सौंपना या जमीन के नीचे दफन करना आदि और मृत्यु के बाद जल्द से जल्द केवल शोक सभा आयोजित की जाएगी।

6.5.4 बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों को उनकी पसंद के लिए गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करना।

6.5.5 अपने बच्चों के लिए अपनी संपत्ति (खुद अधिग्रहित या पैतृक) को समान अधिकार प्रदान करना , चाहे उनका लिंग कुछ भी हो।

6.5.6 जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

6.5.7 मुहल्ला / गाँव / वार्ड / ब्लॉक / जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर, उसी क्रम में, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

6.5.8 सभी आजीवकों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

6.5.9 वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना का विकास करना।

6.5.10 देश के उन महान विचारकों (आजीवकों) के विचारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना जिन्होंने मानववाद को प्राप्त करने के लिए काम किया।

6.5.11 कोई संसाधन / अवैध उपकार लिए बगैर, केवल उन्हीं स्थानीय आज़ीवक नेताओं को अपना मत देना, जो इस क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ हों और उसी संबंधित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करते हों।

6.5.12 अपने मुहल्ले में एक समूह बनाना और उनमें से सर्वश्रेष्ठ आजीवक को मुहल्ला आजीवक परिषद के कार्यकारी सदस्यों के रूप में का चुनना।

6.5.13 To attend the corresponding **Ajivak Council** meetings when called for and provide your active participation in it.

6.5.14 To stop begging and giving others for exchange of Punya, Swarg, Heaven, Jannat, salvation, good luck, rebirth etc.

6.5.15 To stop consuming intoxicating drinks and drugs except for medicinal purposes which are injurious to our health.

6.5.16 To contest elections only after taking permission from the Board as an independent candidate. It is prohibited to join any party.

6.5.17 To stop considering/showing yourself of low level on the name of culture such as bowing on others feet.

6.5.18 To become free from **aversion** and **cravings** of anything to achieve the happiness.

6.5.19 To keep at least one **Bamboo Stick** (minimum 4 feet length) in the house and get trained for self-help and to provide immediate protection to other Ajivak Members.

6.6 Ajivak Flag: the Ajivak flag will be of 2:3 ratio**.** There will be two strips horizontally. The upper strip will be of green color which indicates Happiness, Well-being and Prosperity, the target of every Ajivak. The lower strip will be of blue color which indicates the duty of every Ajivak to do only useful work. There will be a white color wheel with five spokes in the centre of flag with the outer diameter equal to 3/4 of width. The central wheel with five spokes indicates the balanced/optimum utilization of five Powers/Resources i.e. **Time**, **Money**, **Ability to work**, **Ability to understand** and **Ability to form group** and the ***Law of Impermanence***. Hence Ajivak flag represents all our requirements and their complete solution.

6.5.13 जब भी बुलाया जाय, सम्बंधित आजीवक परिषद की बैठकों में भाग लेना और उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदान करना।

6.5.14 पुण्य, स्वर्ग, हेवेन, जन्नत, मोक्ष, सौभाग्य, पुनर्जन्म आदि के लिए भीख माँगना और दूसरों को भीख देना बंद करना।

6.5.15 औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उन नशीले पेय और दवाओं का सेवन बंद करना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

6.5.16 बोर्ड से, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, अनुमति लेने के बाद ही चुनाव लड़ना। किसी भी पार्टी में शामिल होना प्रतिबंधित है।

6.5.17 संस्कृति के नाम पर खुद को निम्न स्तर का मानने / दिखाने से रोकना जैसा कि दूसरों के पैरों पर झुकना।

6.5.18 प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ से बहुत ज्यादा नफरत और लगाव से मुक्त हो जाना।

6.5.19 घर में कम से कम एक **बांस की छड़ी** (न्यूनतम 4 फीट लंबाई) रखना और स्वयं सहायता के लिए प्रशिक्षित होना और अन्य आजीवक सदस्यों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करना करता है।

6.6 आजीवक ध्वज: आजीवक ध्वज 2: 3 अनुपात का होगा। क्षैतिज रूप से दो पट्टियां होंगी। ऊपरी पट्टी हरे रंग की होगी जो कि ख़ुशी, सुख और समृद्धि को इंगित करती है, जो हर आजीवक का लक्ष्य है। निचली पट्टी नीले रंग की होगी जो केवल उपयोगी कार्य करने के लिए प्रत्येक आजीवक के कर्तव्य को इंगित करती है। झंडे के केंद्र में पांच तीलियों के साथ, 3/4 चौड़ाई के बराबर व्यास के साथ, एक सफेद रंग का पहिया होगा। पांच तीलियों वाला केंद्रीय पहिया पांच शक्तियों / संसाधनों, यानी **समय, पैसा, काम करने की क्षमता, समझने की क्षमता और समूह बनाने की क्षमता**, के संतुलित / इष्टतम उपयोग और **क्षणिकता के कानून** को इंगित करता है। इसलिए आजीवक ध्वज हमारी सभी आवश्यकताओं और उसके संपूर्ण समाधान का प्रतिनिधित्व करता है।

6.7 Ajivak Emblem/Logo: It consists of white colored central wheel of **Ajivak Flag** on the green circle. There shall be a concentric bigger circular strip of blue color. In the blue circlular strip, it will be written as **"Be Ajivak, Be Powerful"** in English or **"Ajivak Bano, Shaktishali Bano"** in hindi and **A W D R T** in the bottom with one **Star** on either side.

6.8 Ajivak Salutation: Article 1(1) of Indian Constitution the name of our country is ***India*** that is ***Bharat***. Our country is sovereign. **Jai Hind**, **Jai Hindustan** etc are based on old names of Bharat so we should stop such salutations. The states have some powers but not sovereign and are under **India** that is **Bharat**. Therefore the use of **Jai of any state** is against **basic principles** of the Constitution. Now salutations like **Bharat Mata Ki Jai**, **Vandae Matram**, Jai of any god or goddess, Jai of any super natural power forces us to believe in supernatural power/ imaginary powers which forces us to violate secular concept and block scientific temper. **Jai Makhali Gosal**, **Jai Bhim, Jai Phulae, Jai Periyar etc** are salutations which represent Individualism. **Jai Kisan**, **Jai Jawan**, **Jai Mulnivasi** etc are salutations for some special groups. **Jai Ajivak/Jai Arjak** is a salutation for all may be Kisan, Jawan, Mulnivasi, Hon./s Makhali Gosal, Dr. Ambedkar, Phulae, Periyar etc those who earn(ed) their livelihood by doing useful work by optimum utilization of their resources and achieve(d) high level in their life and cooperate (d) to develop India. **Jai Samvidhan** is the salutation for most respectable book of India written by Ajivaks for Ajivak welfare and development based on the principle given by our great **Ajivak/Arjak leaders**. Amongst **Jai Ajivak/Arjak**, **Jai Bharat** and **Jai Samvidhan,** the **Jai Ajivak/Arjak** is the best salutation.

6.7 आजीवक प्रतीक / लोगो: इसमें आजीवक ध्वज के हरे रंग के गोले में सफेद रंग का केंद्रीय पहिया होता है। नीले रंग की बड़ी गोलाकार पट्टी होगी। नीली बड़ी पट्टी के अंदर अंग्रेजी में **"Be Ajivak, Be Powerful"** या हिंदी **"आजीवक बनो , शक्तिशाली बनो "** और नीचे दोनों तरफ एक स्टार के साथ **AWDRT** लिखा जाएगा।

6.8 आजीवक अभिवादन: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 (1) हमारे देश का नाम **इंडिया** है जो कि **भारत** है। हमारा देश संप्रभु देश है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान आदि भारत के पुराने नामों पर आधारित हैं इसलिए हमें इस तरह के सलाम को रोकना चाहिए। राज्यों के पास कुछ शक्तियां हैं लेकिन संप्रभु नहीं हैं और वे इंडिया जो कि भारत है के अधीन हैं। इसलिए किसी भी राज्य की जय का उपयोग संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अब भारत माता की जय, वन्दे मातरम, किसी भी भगवान या देवी की जय, किसी भी अलौकिक शक्ति की जय हमें अलौकिक शक्ति / काल्पनिक शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है जो हमें धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का उल्लंघन करने और वैज्ञानिक स्वभाव को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर करती है। जय मखली गोसाल, जय भीम, जय फूले, जय पेरियार आदि ऐसे अभिवादन हैं जो व्यक्तिवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जय किसान, जय जवान, जय मूलनिवासी आदि कुछ विशेष समूहों के लिए सलाम है। जय आजीवक / जय अर्जक सभी के लिए एक सलाम है जिसमे किसान, जवान, मुलनिवासी, मखली गोसाल, डॉ. अंबेडकर, फूले, पेरियार आदि शामिल हैं, जो अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके उपयोगी कार्य करके अपनी जीविका चला कर, अपने जीवन में उच्च स्तर प्राप्त किये, और भारत को विकसित करने के लिए सहयोग दिए। जय संविधान भारत के सबसे सम्माननीय पुस्तक के लिए सलाम है जो आज़ीवकों द्वारा लिखित, आज़ीवक कल्याण और विकास के लिए, हमारे महान आज़ीवक / अर्जक नेताओं द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। जय आजीवक / अर्जक, जय भारत और जय संविधान के बीच, जय आजीवक / अर्जक सबसे अच्छा सलाम है।

7.0 OBJECTS OF THE TRUST:

7.1 The object of the Trust extended to the whole India.

7.2 The Main Objects of the trust shall be to educate human society to make them an **Ajivak** so that they can achieve **Happiness**, **Wellbeing** and **Prosperity** for themselves.

7.3 They will be taught various techniques to carry out Research and Development (R&D) in it within the constitutional frame work to achieve the target.

7.3.1 To achieve the **Quality and Equal Education**.

7.3.2 To achieve the **Guaranteed Employment with reasonably low Wage Ratio above the age of 18 years and thereafter equal opportunity to grow.**

7.3.3 To achieve the **Quality and Equal health care facility**.

7.3.4 To achieve **Quality and Equal Justice in time**.

7.3.5 To achieve **Proportionate Representation** to set up a **True Democracy** (A form and a method of Government whereby revolutionary changes in the social life are brought about without bloodshed).

7.4 To create, manage operate and dissolve educational and professional institutions as approved by the Board.

7.5 To produce, market, trade and warehouse goods and services as approved by the Board.

8.0 POWRES AND FUNCTIONS OF THE BOARD OF TRUSTEES:

8.1 All properties of the trust, moveable or immovable or of any other kind shall vest in trust, the Board of Trustees shall manage the whole property and affairs of the trust and shall have all powers, duties and functions necessary to properly promote and carry out the objects of the trust.

8.2 The Board shall have power to frame rules, regulations, byelaws and schemes for the operation and management of the trust and to vary or amend them from time to time.

7.0 ट्रस्ट का उद्देश्य:

7.1 ट्रस्ट का उद्देश्य पूरे भारत में विस्तारित होगा।

7.2 ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मानव समाज को शिक्षित करके उन्हें एक आजीवक बनाना होगी ताकि वे अपने लिए खुशी, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें।

7.3 उन्हें लक्ष्य हासिल करने के लिए संवैधानिक फ्रेम वर्क के भीतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R & D) करने के लिए विभिन्न तकनीकों को सिखाया जाएगा।

7.3.1 गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्राप्त करना।

7.3.2 18 वर्ष से अधिक आयु के बाद कम वेतन अनुपात वाली रोजगार की गारंटी और उसके बाद आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त करना।

7.3.3 गुणवत्तापूर्ण और समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्राप्त करना।

7.3.4 समय में गुणवत्तापूर्ण और समान न्याय प्राप्त करना।

7.3.5 एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना (सरकार का एक तरीका और रूप जिससे सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी बदलाव लाए जाते हैं)।

7.4 बोर्ड द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों को बनाना, प्रबंधन करना, संचालित करना और भंग करना।

7.5 बोर्ड द्वारा अनुमोदित बस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, क्रय-विक्रय,व्यापार करना और भण्डारण करना।

8.0 ट्रस्टियों के बोर्ड की शक्तियां और कार्य:

8.1 ट्रस्ट की सभी चल या अचल या किसी अन्य प्रकार की संपत्तियां ट्रस्ट में निहित होगी। न्यासी बोर्ड ट्रस्ट की सम्पूर्ण संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करेगा और ट्रस्ट के पास वे सभी जरूरी शक्तियां , कर्तव्य और कार्य होंगे जिससे ट्रस्ट के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित और प्रसार किया जा सके।

8.2 बोर्ड को ट्रस्ट के संचालन और प्रबंधन के लिए नियमों, विनियमों, उपनियमों और योजनाओं को बनाने और समय-समय पर उन्हें बदलने या संशोधित करने की शक्ति होगी।

8.3 To collect, receive and get in from time to time, cooperation/contribution in cash or in any form from the Settlor, Trustees, Ajivak Members, Ajivak Councils for the purposes of carrying out the activities of the Trust and pass valid acknowledgements for all such receipts and to hold and utilize the receipts, income and profits of the Trust for the purpose of the Trust and no other.

8.4 To pay discharge, reimburse the cost, charges and expenses in or about, the collection and for getting the income of the Trust Fund and management, administration of the Trust and all other costs, charges and expenses and outgoings in relation thereto. None of the Trustees shall derive any personal benefit whatsoever, by the deployment/use of the property of the Trust.

8.5 To hold movable and immovable properties on behalf of the Trust.

8.6 To wind up or dissolve the Trust.

8.7 To carry out, promote and publicize world class research and analysis on issues related to the main objects of the trust.

8.8 To respect and expand national and international association for achieving the main objects of the trust.

8.9 To participate in national and international activities related to the main objects of the trust.

8.10 To form/setup **Ajivak Welfare and Development Research Councils** (**AWDRCs**), herein referred as "**Ajivak Councils"** at **Muhalla**, **Village/Ward**, **Block**, **District, State** and **National** levels known as **Muhalla Ajivak Council**, **Village/Ward Ajivak Council**, **Block Ajivak Council**, **District Ajivak Council**, **State Ajivak Council**, **National Ajivak Council** respectively and shall be named accordingly

8.11 To appoint ajivak council executives at **Muhalla**, **Village/Ward**, **Block**, **District, State** and **National** levels and good cause, on violation of Ajivak Concept and other conditions, to take disciplinary actions against them.

8.3 ट्रस्ट की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, समय-समय पर, नकद में या किसी अन्य रूप में संस्थापक, ट्रस्टी, आजीवक सदस्यों, आजीवक परिषदों से सहयोग / योगदान को इकट्ठा करना, प्राप्त करना और रखना और सभी प्राप्तियों के लिए मान्य स्वीकृति प्रदान करना और केवल ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए ट्रस्ट की प्राप्तियों, आय और मुनाफे को रखना और उनका उपयोग करना।

8.4 ट्रस्ट फण्ड की कमाई संग्रह करने और ट्रस्ट के प्रबंधन और प्रशासन के लिए सभी प्रकार की लागत, शुल्क और खर्चों और आउटगोइंग का भुगतान और प्रतिपूर्ति करना। कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति की तैनाती / उपयोग द्वारा, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

8.5 ट्रस्ट की ओर से चल और अचल संपत्तियां रखना।

8.6 ट्रस्ट का समापन या भंग करना।

8.7 ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित मुद्दों पर विश्व स्तरीय अनुसंधान और विश्लेषण का कार्यान्वित, प्रचार और प्रसार करना।

8.8 ट्रस्ट की मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मान और विस्तार करना।

8.9 ट्रस्ट की मुख्य उद्देश्यों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना।

8.10 **आजीवक कल्याण एवं विकास अनुसन्धान परिषदों (AWDRCs)** का गठन / स्थापना करना, जिसे **मुहल्ला, गाँव / वार्ड, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर** पर "**आजीवक परिषदों**" के रूप में जाना जायेगा, जिन्हें क्रमशः **मुहल्ला आजीवक परिषद, गाँव / वार्ड आजीवक परिषद, ब्लॉक आजीवक परिषद, जिला आजीवक परिषद, राज्य आजीवक परिषद, राष्ट्रीय आजीवक परिषद** से नामित किया जाएगा।

8.11 **मुहल्ला, गाँव / वार्ड, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर** पर **आजीवक परिषद** के अधिकारियों को नियुक्त करना और आजीवक अवधारणा और अन्य शर्तों के उल्लंघन सम्बंधित अच्छे कारण पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

8.12 To appoint such employees, on such conditions and emoluments as may be found necessary by the Board of Trustees and, with good cause, on violation of Ajivak Concept and other conditions, to take disciplinary actions against them and to suspend or dismiss any employee.

8.13 To hire and convene skilled, professional national and international experts for achieving the main objects of the trust.

8.14 To make representations to all central or state or local or public or semi-public authorities, executives or legislatures on any matter directly or indirectly affecting the main objects of the trust.

8.15 To invest the funds of the Trust not immediately required in or upon any instruments or properties of whatever nature and wheresover situated, and to sell, call in, vary, exchange or transfer any investments or properties of the Trust, in accordance with the provisions of the law.

8.16 To purchase or take by way of lease, sub-lease, exchange, hire or otherwise acquire any movable or immovable property, and in particular any land, flats, buildings, workshops, factories, laboratories, machinery, equipment, furniture, scientific records, experimental data, library, plant, apparatus, appliances and any rights or privileges necessary or convenient for the purpose of the Trust and to construct, erect, alter, improve, and maintain any building by periodical repairs and to manage, develop, sell, demise, let, mortgage, dispose off, turn to account or otherwise deal with all or any part of the assets and rights of the Trust for cash or any other consideration with the view to the promotion of the objects of the trust.

8.12 ऐसे कर्मचारियों को उन शर्तों और वेतन पर नियुक्त करना, जिसे न्यासी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा गया हो, और अच्छे कारण के साथ, आजीवक अवधारणा और अन्य शर्तों के उल्लंघन पर, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और किसी भी कर्मचारी को निलंबित या खारिज करना।

8.13 ट्रस्ट की मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशल, पेशेवर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की नियुक्त करना और बुलाना।

8.14 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर सभी केंद्रीय या राज्य या स्थानीय या सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक प्राधिकारिओं, अधिकारियों या विधानसभाओं में अभ्यावेदन करना।

8.15 ट्रस्ट निधि को, जिसकी तुरंत आवश्यकता न हो, किसी भी प्रकार के साधन या सम्पति पर निवेश करना और ट्रस्ट के किसी भी निवेश या सम्पति को कानून के प्रावधानों के अनुसार बेचना, वापस लेना, बदलना या स्थानांतरित करना।

8.16 किसी भी चल या अचल संपत्ति को पट्टे, उप-पट्टे, विनिमय, किराये पे लेना, खरीदना या अधिग्रहण करना और विशेष रूप से ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए आवश्यक और सुविधाजनक किसी भी भूमि, फ्लैटों, भवनों, कार्यशालाओं, कारखानों, प्रयोगशालाओं, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, वैज्ञानिक रिकॉर्ड, प्रायोगिक डेटा, पुस्तकालय, संयंत्र, औज़ार, उपकरण और किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को और ट्रस्ट के उद्देश्यों की अभिवृद्धि करने के लिए किसी भी इमारत का निर्माण करना, खड़ा करना , बदलाव, सुधार और आवधिक मरम्मत द्वारा रखरखाव करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों का प्रसार करने के लिए ट्रस्ट की संपत्तियों या अधिकारों के सभी या किसी भी हिस्से का नकदी या किसी अन्य विचार द्वारा सौदा करना, प्रबंधन, विकास, बिक्री, समाप्ति, किराये पर देना, गिरवी रखना, बंद करना, खाते में डालना।

8.17 To establish and support or aid in the establishment and support of associations, institutions, funds, trusts, and conveniences calculated to benefit employees or ex employees of the Trust or dependents of such persons, and to grant pensions and allowances to make payments towards insurance of such persons and generally to proved for supporting benefits.

8.18 To pay the costs, charges and expenses, preliminary and incidental to the formation, establishment and registration of the Trust and remunerate any parties for the services rendered or to be rendered in or about formation or promotion of the trust or conduct of its activities.

8.19 To accept payments for any property or rights sold or otherwise disposed of or dealt with by the Trust, whether in cash by installments and generally on such terms as the trust may determine, and to hold, dispose of or otherwise deal with any shares, stocks or securities.

8.20 To procure the incorporation, registration of other recognition of the Trust in any country, state or place and to pay all expenses preliminary or incidental thereto.

8.21 To enter into, make and perform contracts and arrangements of every kind and description with corporate body, state or central Government or any companies, firms or persons or groups that may seem conducive to the Trust's objectives or any of them and to obtain from any such authority any rights, privileges charters, contracts, concessions, licenses etc. which the Trust for the time being may think desirable to obtain and to carry out, exercise and comply with any contract, arrangements, rights, privileges and concessions.

8.17 ट्रस्ट के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों या उनके आश्रितों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थापनाओं, संगठनों, संस्थानों, निधियों, न्यासों और प्रतिष्ठानों और लाभकारी सुविधाओं की स्थापना और सहायता या समर्थन करना, और ऐसे व्यक्तियों के लिए पेंशन, भत्ते और बीमा के लिए भुगतान करना जो आम तौर पर सहायक लाभों के लिए सिद्ध होते हैं।

8.18 ट्रस्ट के गठन, स्थापना और पंजीकरण के लिए प्रारंभिक और आकस्मिक खर्चों के लिए शुल्क और व्यय का भुगतान करना और किसी भी पक्ष को उनके द्वारा प्रदान की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए या ट्रस्ट के गठन या प्रचार या उसकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पारिश्रमिक देना।

8.19 ट्रस्ट द्वारा बेची गई, निपटाई गई या सौदा की गई, चाहे वह किस्तों द्वारा या नकद में हो और आम तौर पर ऐसी शर्तों पर, जैसा कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया हो, किसी भी संपत्ति या अधिकार का भुगतान स्वीकार करना और किसी भी शेयरों, स्टॉक या प्रतिभूति को रखना, निपटना या अन्यथा निपटाना।

8.20 किसी भी देश, राज्य या स्थान में ट्रस्ट की संस्थापना, अन्य मान्यताओं के पंजीकरण को खरीदना और प्रारंभिक या आकस्मिक सभी खर्चों का भुगतान करना।

8.21 कॉरपोरेट निकाय, राज्य या केंद्र सरकार या किसी भी कंपनी, फर्म या व्यक्तिओं या समूहों के साथ हर तरह के अनुबंध और व्यवस्था में प्रवेश करना, बनाना और निष्पादन करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों या उनमें से किसी के लिए अनुकूल हो और किसी भी प्राधिकारी से इस तरह का कोई अधिकार, विशेषाधिकार चार्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रियायतें, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करना जिसे ट्रस्ट को उस समय वांछनीय लगता है और किसी भी अनुबंध, व्यवस्था, अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों को कार्यान्वित करना, अंजाम देना और पालन करना

8.22 To open, maintain, operate, and close Bank Account(s) in any bank(s) as decided from time to time and to deposit moneys therein and to draw, accept, endorse or otherwise deal in cheques, drafts, and other negotiable instruments and to withdraw moneys from such accounts and generally operate upon same (without overdraft) as may be required by for purpose of the Trust.

8.23 To ensure any of the persons, properties, undertaking contacts, guarantee or profits or obligations of the Trust of every nature and kind in any means whatsoever. Also to ensure with any person or Trust against losses, damages, risks and liabilities of any kind which may affect the Trust either wholly or partially.

8.24 To refer any dispute, claim or demand by or against the Trust to arbitration and observe and perform the awards and to appoint arbitrators, umpires and to refer to arbitration, to institute, defend, prosecute, compromise, withdraw or abandon any proceedings whether legal or otherwise and claims by or otherwise concerning the activities and affairs of the Trust in any court of law or any Tribunal or Authority and for the purpose engage counsel or other representative.

8.25 To adopt such means of making known the activities of the Trust as may be seem expedient and in particular by advertising in the press, radio, television, social media etc. by circulars, posters, by purchase and exhibition of works of arts or interest by audio and/or visual means, publication of books, brochures, periodical and by granting prizes and awards to any public purposes.

8.26 To enter into collaborations for technical assistance, financial or commercial arrangements, including for fulfillments of any object herein contained.

8.22 किसी भी बैंक (बैंकों) में समय-समय पर तय किए गए बैंक खाता (तों) को खोलना , बनाए रखना , संचालित करना और बंद करना और उसके बाद उसमे पैसे जमा करना और चेक, ड्राफ्ट और अन्य बात चीत करने लायक उपकरण से निकालना, स्वीकार करना, अनुमोदन करना या अन्यथा निपटाना और ऐसे खातों से पैसे निकालना और आम तौर पर उसे संचालित करना (ओवरड्राफ्ट के बिना) जो ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए ट्रस्ट को आवश्यक हो।

8.23 किसी भी व्यक्ति, संपत्तियों, उपक्रमों के ठेकों, गारंटी या मुनाफे या हर प्रकार के ट्रस्ट के दायित्वों या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना। किसी भी व्यक्ति या ट्रस्ट के साथ नुकसान, क्षति, जोखिम और किसी भी प्रकार की देनदारियों को सुनिश्चित करना जो ट्रस्ट को पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित कर सकता है।

8.24 ट्रस्ट के पक्ष या खिलाफ किसी भी विवाद, दावे या मांग की मध्यस्थता के लिए भेजना और उसका निरिक्षण और कार्यान्वन करना और मध्यस्थों और निर्णायकों की नियुक्ति करना और ट्रस्ट की गतिविधियों और मामलों से संबंधित या अन्य दावों के लिए कानून की किसी भी अदालत या किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में खड़ा करना, बचाना, मुकदमा चलाना, समझौता करना, कानूनी या अन्य कार्यवाही को हटाना या छोड़ना और अधिवक्ता या अन्य प्रतिनिधि को काम पर लगाना।

8.25 ट्रस्ट की गतिविधियों को ज्ञात कराने के ऐसे साधनों को अपनाना जो उचित हो और विशेष रूप से प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि में विज्ञापन द्वारा, परिपत्र, पोस्टर, कला और रुचि के कामों की खरीद और प्रदर्शनी के द्वारा, ऑडियो और / या दृश्य माध्यमों से, पुस्तकों का प्रकाशन, विवरणिका, पुस्तिका और किसी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इनाम और पुरस्कार प्रदान करना।

8.26 इसमें निहित किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी सहायता, वित्तीय या वाणिज्यिक व्यवस्था के लिए सहयोग में प्रवेश करना।

8.27 To indemnify officers, directors, agents and servants of the Trust against proceedings, costs, damages, claims and demands in respects of anything done or ordered to be done by them for any in the interest of the Trust or any loss or damage whatever which shall happen in the execution of duties of other officer or relation thereof.

8.28 To do all such deeds and acts which have not been specifically mentioned in the Trust Deed but which are found to be necessary, expedient and essential for furthering the objects of the Trust provided that the Trust shall not support with its funds or endeaovour to impose on or procure to be observed by its trustees or staff or others, any regulation or restriction which, if any object of the Trust, would make it a trade union.

9.0 WORKING OF THE TRUST:

9.1 The **Board** shall formulate, alter or amend the terms, conditions, rules, regulations and instructions for smooth performance of the functions of the Trustees and proper conduct of the business of the Trust by resolution.

9.2 The **Board** may act on opinion or advice of any **Ajivak Council**, any lawyer, accountant, auditor, valuer, broker, auctioneer or other expert (experts/councils) and shall not be responsible for any loss occasioned by such action. Any such advice may be obtained by letter, fax, e-mail or any other mechanical or electronic device of communication and members shall not be liable for acting on such advice or opinion purported to have been conveyed as aforesaid.

9.3 The **Board** and /or the Trustees shall not be responsible for the consequences of any mistake or oversight or error of judgment for want of prudence on the part of the Trustees or any attorney, agent or any other person appointed by it or for misconduct on the part of such person(s) nor it would be bound to supervise the proceedings of such appointee.

8.27 ट्रस्ट के अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों और सेवकों को कार्यवाही, लागत, हर्जाना, दावे और मांगों के संबंध में किसी भी चीज के संबंध में या उनके द्वारा ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले आदेशों या किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करना, जो भी हो अन्य अधिकारी या उसके संबंध के कर्तव्यों के निष्पादन में होगा।

8.28 ऐसे सभी कृत्य और कार्य को करना जो ट्रस्ट डीड में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के वउद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक, समीचीन और जरूरी पाए जाते हैं, बशर्ते कि ट्रस्ट अपने धन से समर्थन नहीं करेगा या अपने ट्रस्टियों या कर्मचारियों या अन्य लोगों पर कोई भी विनियमन या प्रतिबंध को लागू करने या थोपने प्रयास नहीं करेगा, जो कि ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य को व्यापार संघ बना दे।

9.0 ट्रस्ट का कार्यचालन:

9.1 बोर्ड, प्रस्ताव द्वारा, ट्रस्टियों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ट्रस्ट के व्यापार के उचित आचरण के लिए नियमों, शर्तों, अनुदेशों , विनियमों और निर्देशों को तैयार, परिवर्तित या संशोधित करेगा।

9.2 बोर्ड किसी भी आजीवक परिषद, किसी भी वकील, लेखाकार, लेखा परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, दलाल, नीलामीकर्ता या अन्य विशेषज्ञ (विशेषज्ञों / परिषदों) की राय या सलाह पर कार्य कर सकता है और ऐसी कार्रवाई से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह की कोई भी सलाह पत्र, फैक्स, ई-मेल या संचार के किसी अन्य यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है और सदस्यों को पूर्वोक्त रूप में अवगत कराए गए ऐसी सलाह या राय पर कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9.3 बोर्ड और / या ट्रस्टीज़, ट्रस्टियों या किसी वकील, एजेंट या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी गलती या निरीक्षण या निर्णय की त्रुटि के परिणामों या यैसे व्यक्तियों के दुर्व्यवहार से हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और न ही इस तरह की नियुक्ति की कार्यवाही की निगरानी के लिए बाध्य होगा।

9.4 Subject to the provisions of the Trust Deed, the Board shall have absolute and uncontrolled discretion as to the exercise of powers and authorities of the Trust vested herein as to the mode and time of execution thereof and in the absence of fraud they shall be in no way responsible for any loss that may result or the exercise or non exercise thereof provided that nothing herein contained shall release the members from liability in case of breach of trust knowingly or intentionally committed by them jointly or individually.

9.5 The **Board** shall ensure that all Trust Deeds, and other documents including share certificates, bonds and other securities representing or stating the title to any of the trust property shall remain in the name of the trust and shall remain deposited either with itself and/or the Settlor or any bank, body, corporate or person as the **Board** may authorize.

9.6 Accounts shall be operated as per the laws applicable to Trusts.

9.7 All the documents creating a charge or obligation on the Trust or the trust assets shall be signed by the Chairperson of the Board.

10.0 MEMBERSHIP:

10.1 Any Indian citizen, aged 18 years and above, having voting right in India and willing to put his/her best efforts to follow **Ajivak Concept** may take AWDRT Membership (Ajivak Membership) by filling membership form and paying requisite membership fee.

11.0 SUBSCRIPTION

11.1 **AWDRT** Membership (Ajivak Membership) shall be obtained by paying Rs 100 (rupees hundred only)/year or as approved/amended by the board from time to time and by filling a prescribed membership form.

9.4 ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के पास पूर्ण और अनियंत्रित विवेक होगा जो कि ट्रस्ट की शक्तियों और प्राधिकारियों के उपयोग, निष्पादन के मोड और समय के रूप में निहित है और धोखाधड़ी की अनुपस्थिति में किसी भी नुकसान के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे चाहे वह किसी प्रयोग या बिना प्रयोग के कारण हो बशर्ते कि इसमें शामिल कुछ भी सदस्यों को, जानबूझकर या संकल्प पूर्वक उनके द्वारा संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से किए गए विश्वास के उल्लंघन के मामले में, दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

9.5 बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ट्रस्ट डीडस और शेयर प्रमाणपत्र, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों सहित अन्य दस्तावेज, जो ट्रस्ट की संपत्ति का किसी भी शीर्षक से प्रतिनिधित्व करते हैं या बताते हैं, ट्रस्ट के नाम पर रहेंगे और स्वयं के पास और / या संथापक या कोई बैंक, निकाय, कॉर्पोरेट या किसी व्यक्ति के साथ जमा रहेंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है।

9.6 ट्रस्टों के लिए लागू कानूनों के अनुसार खातों का संचालन किया जाएगा।

9.7 ट्रस्ट या ट्रस्ट की संपत्ति पर प्रभार या दायित्व बनाने वाले सभी दस्तावेजों पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

10.0 सदस्यता:

10.1 कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, भारत में मतदान का अधिकार रखता है और वह आजीवक सिद्धांत को अमल में लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए तैयार है, सदस्यता फार्म भरकर और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके AWDRT की सदस्यता ले सकता है।

11.0 सदस्यता शुल्क:

11.1 AWDRT सदस्यता (आजीवक सदस्यता) 100 रुपये (केवल सौ रुपये) / वर्ष या जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित / संशोधित / निर्धारित किया गया है, का भुगतान करके और सदस्यता फार्म भरकर प्राप्त किया जाएगा।

11.2 Higher cooperation by resource sharing may be provided by Ajivak Members as demanded by the Board from time to time for specified work only if they understand their welfare in it.

12.0 BOARD MEETINGS:

12.1 The affairs of the Trust shall be generally carried on by the Chairperson or Board's delegate in matters delegated to him by the Board subject to the supervision and ultimate control of the Board.

12.2 The board shall meet at least once in a year and decide as often as the circumstances may require to transact the business of the Trust, but desirably the Board may meet once every quarter of the calendar year including the quarter in which the annual accounts are finalized, the position of the accounts and performance is appraised and approved by the Board.

12.3 Notice of the board meeting shall be sent in writing, through modern electronic means or by post, to all Trustees at least 14 days prior to the scheduled date of the meeting. A shorter notice period may be permitted with the approval of all the Trustees.

12.4 The meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson.

12.5 Every resolution of the Board shall be passed in a meeting by consensus, if it should fail to reach consensus, by a simple majority. However, the Board shall also be entitled to pass any resolution without meeting but by circulation of the resolution to all the trustees and approved by simple majority. Unless it is provided in the resolution, it shall be effective from the date it stands signed by a majority of the Trustees. A resolution passed by circulation and signed by majority of the Trustees shall be as valid and effective as if it had been passed in a duly constituted meeting of the trustees.

11.2 आजीवक सदस्य अपने संसाधन को बड़े सहयोग द्वारा प्रदान कर सकते है जिसे कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्य के लिए मांगा गया है केवल यदि वे इसमें अपना कल्याण समझते हैं।

12.0 बोर्ड की बैठकें:

12.1 ट्रस्ट के मामलों को, आम तौर पर बोर्ड के पर्यवेक्षण और अंतिम नियंत्रण के अधीन, अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा, बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में, किया जाएगा।

12.2 बोर्ड साल में कम से कम एक बार बैठक करेगा और परिस्थितियों के अनुसार ट्रस्ट के काम काज को चलाने के लिए जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन वांछनीय रूप से बोर्ड कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक तिमाही में एक बार मिल सकता है जिसमें वह तिमाही शामिल है जिसमे बोर्ड द्वारा वार्षिक खाते को अंतिम रूप दिया जाता है, खातों की स्थिति और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन और अनुमोदिन किया जाता है।

12.3 बोर्ड बैठक की सूचना लिखित रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या डाक के माध्यम से सभी ट्रस्टियों को बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले भेजी जाएगी। सभी ट्रस्टियों के अनुमोदन के साथ एक छोटी सूचना अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

12.4 बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

12.5 बोर्ड का प्रत्येक प्रस्ताव सर्वसम्मति से एक बैठक में पारित किया जाएगा, अगर यह सर्वसम्मति तक पहुंचने में विफल रही तो साधारण बहुमत से होना चाहिए। हालाँकि, बोर्ड बिना किसी भी बैठक के भी प्रस्ताव को पारित करने का हकदार होगा, यदि सभी ट्रस्टियों को प्रस्ताव के संचलन और साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया हो। जब तक यह प्रस्ताव में प्रदान नहीं किया गया हो, यह ट्रस्टियों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित तारीख से प्रभावी होगा। ट्रस्टियों के बहुमत द्वारा संचलन और हस्ताक्षर द्वारा पारित एक प्रस्ताव वैसा ही मान्य और प्रभावी होगा जैसा कि ट्रस्टियों की विधिवत गठित बैठक में पारित किया गया हो।

12.6 The board shall maintain or cause to be maintained a Book of Minutes recording the proceedings of each meeting of the Board which shall be signed by each Trustee or by the Chairperson alone if resolution is passed by circulation without any meeting.

12.7 Presence of all three Trustees shall be necessary to constitute a quorum for any Board meeting.

13.0 CHAIRPERSON:

13.1 The Settlor shall be the Board's first Chairperson.

13.2 The Chairperson will approve by signature the minutes and records of the meetings and resolutions. He/she shall have powers to direct and/or convene/call special/emergency meetings of the Board.

13.3 The Chairperson shall have full power to approve any expenditure during a financial year within limitations of the Budget of the Trust, which shall be prepared in the meetings of the Board in the month of March every year and the receipts, expenses and the budgetary provision shall be examined, reviewed and approved by the Board in such meetings.

14.0 MANAGER:

The board shall appoint a Manager, who shall be responsible for looking after day to day administration of the Trust and other all the functions assigned to him/her by the Board. He shall report to the **Chairperson** of the Board.

15.0 AJIVAK COUNCILS AND FUNCTIONING:

15.1 There shall be 6 level Ajivak Councils in India to manage the Trust. They are Muhalla Ajivak Council, Village/Ward Ajivak Council, Block Ajivak Council, District Ajivak Council, State Ajivak Council and National Ajivak Council. There shall be at least five (5) executive members in each council namely (1) **Chairperson**, (2) **Vice Chairperson**, (3) **Secretary**, (4) **Joint Secretary and** (5) **Treasurer** for execution of council affairs.

12.6 बोर्ड, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने वाली घटना किताब को बनाये रखेगी या बनाये रखने का कार्य करेगी जिस पर प्रत्येक ट्रस्टी या अध्यक्ष द्वारा अकेले हस्ताक्षर किए जाएंगे यदि प्रस्ताव संचलन द्वारा बिना किसी बैठक के पारित हो जाता है।

12.7 किसी भी बोर्ड की बैठक के लिए सभी ट्रस्टियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

13.0 अध्यक्ष:

13.1 संस्थापक बोर्ड का पहला अध्यक्ष होगा।

13.2 अध्यक्ष बैठकों और प्रस्तावों के मिनट और रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके अनुमोदन करेंगे। उसे बोर्ड की विशेष / आपातकालीन बैठकों को निर्देशित करने और/या आयोजित करने / बुलाने की शक्तियाँ होंगी।

13.3 चेयरपर्सन के पास ट्रस्ट के बजट की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी व्यय को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति होगी, जिसे हर साल मार्च के महीने में बोर्ड की बैठकों में तैयार किया जाएगा और प्राप्तियां, व्यय और बजट प्रावधान को ऐसी बैठकों में बोर्ड द्वारा जांच, समीक्षा और अनुमोदन किया जायेगा।

14.0 प्रबंधक:

बोर्ड एक प्रबंधक की नियुक्ति करेगा, जो ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन और बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए अन्य सभी कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी होगी। वह बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा।

15.0 आजीवक परिषद् और कार्य:

15.1 ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए भारत में 6 स्तर की आजीवक परिषदें होंगी। वे मुहल्ला आजीवक परिषद, ग्राम / वार्ड आजीवक परिषद, ब्लॉक आजीवक परिषद, जिला आजीवक परिषद, राज्य आजीवक परिषद और राष्ट्रीय आजीवक परिषद हैं। प्रत्येक परिषद में परिषद के मामलों का निष्पादन करने लिए कम से कम पाँच (5) कार्यकारी सदस्य होंगे (1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) संयुक्त सचिव और (5) कोषाध्यक्ष।

15.2 Every council shall function as self governing body within the Ajivak Concept and rules and regulations framed by the board. It shall identify and list the problems among their territory and divide them into three parts (ABC Analysis which categorizes all activities based on their impact on public and resources needed to complete them). Make root cause analysis accordingly. Provide suitable solution and carryout implementation. Forward solved problems with solutions along with unsolved problems, if any, to the higher council.

15.3 Every council shall forward 10 % of their collection to the higher council and remaining 90% must be utilized by them as approved by GBM (General Body Meeting).

15.4 Every council shall take up the responsibility to promote the awareness about Ajivak Concept and strive to meet the main object of the Trust. For Ajivak welfare and development, the council chairpersons at various levels must participate in decision making and follow reporting system as per organization chart approved by the board.

15.5 Any council shall be assumed to be formed/setup only after getting written permission from the board or its authorized representative.

15.6 Tenure of every elected executive council member shall be for 5 years and shall not be repeated again for the same post except, in extreme condition, with the approval of the Board. They will be always given opportunity to be considered for higher post along with newly elected members.

15.7 Every executive council shall have minimum one third of women and men members and in determining such numbers if there comes a remainder, the quotient shall be increased by one.

15.8 The Age of executive council members shall not exceed 60 years on the date of election.

15.2 प्रत्येक परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित आजीवक सिद्धांत और नियमों और विनियमों के भीतर स्व शासी निकाय के रूप में कार्य करेगी। यह उनके क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करेगा और उन्हें तीन भागों में विभाजित करेगा (A,B,C विश्लेषण, जो सभी गतिविधियों को, जनता पर उनके प्रभाव और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन, के आधार पर वर्गीकृत करेगा)। तदनुसार मूल कारण विश्लेषण करें। उपयुक्त समाधान प्रदान करें और क्रियान्वयन करें। सुलझी हुई समस्याओं और उसके समाधान को अनसुलझी समस्याओं, यदि कोई हो, को उच्च परिषद को भेजना।

15.3 प्रत्येक परिषद अपने संग्रह का 10% उच्च परिषद को अग्रेषित करेगी और शेष 90% का उपयोग खुद GBM (सामान्य निकाय बैठक) के अनुमोदन के अनुसार करेगी।

15.4 हर परिषद आजीवक सिद्धांत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेगी। आजीवक कल्याण और विकास के लिए, विभिन्न स्तरों के परिषद के अध्यक्षों को निर्णय लेना और बोर्ड द्वारा अनुमोदित संगठन चार्ट के अनुसार रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करना चाहिए।

15.5 किसी भी परिषद को बोर्ड या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही गठित / स्थापित किया जाएगा।

15.6 प्रत्येक निर्वाचित कार्यकारी परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा और बोर्ड की मंजूरी के साथ, चरम स्थिति सिवाय, उसी पद के लिए फिर से दोहराया नहीं जाएगा। उन्हें हमेशा नए चुने गए सदस्यों के साथ उच्च पद के लिए विचार करने का अवसर दिया जाएगा।

15.7 प्रत्येक कार्यकारी परिषद में कम से कम एक तिहाई महिला और पुरुष सदस्य होंगे और ऐसी संख्या निर्धारित करने में यदि कोई शेष आता है, तो भागफल एक से बढ़ जाएगा।

15.8 चुनाव की तारीख पर कार्यकारी परिषद के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

15.9 Every Council may have minimum 5 committees (with minimum three members), headed by the council Chairperson or his authorized representative, such as: **(1)** Education Committee **(2)** Ajivika Committee (Employment and further opportunity Committee) **(3)** Health Committee **(4)** Law, Justice and Security Committee **(5)** Celebration (Social and Cultural) Committee.

15.10 Every executive council must have proportionate representation of **BC** (**SC**, **ST**, **OBC)** and Other Categories, based on **Mandal Commision Report**, from the list of ***Ajivak Members***.

15.11 Any executive post, found vacant in any council shall be filled from remaining executives and the waitlisted members already elected in GBM based on seniority within 1 month from the date of vacancy. Seniority of executive members shall be as Chairperson, Vice Chairperson, Secretary, Joint Secretary and Treasurer. GBM may be called if the situation arises to fill the vacancy.

15.12 Quorum for Executive Council (EC) meeting shall be 60% EC members. Quorum for the GBM shall be 60% EC members and 50% of members who elected EC members.

15.13 Every resolution in the Muhalla/Village/Ward/Block/ District/State/National Ajivak Councils shall be passed in a meeting (ECM/GBM) by consensus and, if it should fail to reach consensus, by a simple majority. In case of equality of the vote for any motion in ECM/GBM, the chairperson shall keep the power to cast his/her deciding vote in favour or opposition of such motion.

15.14 Every council in its annual GBM shall elect an auditor to make social audit of the council account for next financial year.

15.9 प्रत्येक परिषद में न्यूनतम 5 समितियाँ हो सकती हैं (न्यूनतम तीन सदस्यों वाली), जिसकी अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि करते हैं, जैसे: (1) शिक्षा समिति (2) आजीविका समिति (रोजगार और आगे का अवसर समिति) (3) स्वास्थ्य समिति (४) कानून, न्याय और सुरक्षा समिति (5) उत्सव (सामाजिक और सांस्कृतिक) समिति।

15.10 प्रत्येक कार्यकारी परिषद में **BC** (**SC**, **ST**, **OBC**) और अन्य श्रेणियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो मंडल कमिशन रिपोर्ट के आधार पर, आज़ीवाक सदस्यों की सूची से होगा।

15.11 किसी भी काउंसिल में कोई भी कार्यकारी पद खाली पाये जाने पर उसे शेष कार्यकारी सदस्यों और जीबीएम में चुने गए सदस्यों की पहले से ही बनाई गयी प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता के आधार पर रिक्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर भरा जाएगा । कार्यकारी सदस्यों की वरिष्ठता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में होगी। यदि रिक्त स्थान को भरने के लिए स्थिति उत्पन्न होती है तो GBM को बुलाया जा सकता है।

15.12 कार्यकारी परिषद (**EC**) की बैठक के लिए कोरम **60% EC** सदस्य होंगे। **GBM** के लिए कोरम **60% EC** सदस्य और **EC** सदस्यों का चुनाव करने वाले **50%** सदस्य होंगे।

15.13 मुहल्ला / गाँव / वार्ड / ब्लॉक / जिला / राज्य / राष्ट्रीय आजीवक परिषदों में प्रत्येक प्रस्ताव एक बैठक (**ECM / GBM**) में सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा और अगर यह आम सहमति तक पहुँचने में विफल होती है, तो बहुमत द्वारा किया जायेगा। **ECM / GBM** में किसी भी प्रस्ताव के लिए वोट की समानता के मामले में, अध्यक्ष इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपने निर्णायक वोट डालने की शक्ति रखेगा।

15.14 अपने वार्षिक **GBM** में प्रत्येक परिषद अगले वित्तीय वर्ष के लिए परिषद खाते की सामाजिक ऑडिट करने के लिए एक लेखा परीक्षक का चुनाव करेगी।

15.15 Notice of the meeting shall be sent in writing, through modern electronic means or by post, to all members of Muhalla/Village/Ward/Block/District/State/National Ajivak Councils respectively at least 14 days prior to the scheduled date of the meeting. A shorter notice period may be permitted with the approval of the respective Chairperson Muhalla/Village/Ward/Block/District/State/National Ajivak Council.

15.16 Every Village/Ward shall be divided into many Muhalla with 100 (50-149) voters/adults each. Every Muhalla with 5 or more members shall setup Muhalla Ajivak Council. All the members in the Muhalla shall elect 5 executive members. The Muhalla Ajivak Council apart from other activities shall take responsibility of propagating **Ajivak Concept** among all the adults/voters by door to door campaign and make them members only after taking their approval. They shall strive to achieve the objects of the trust. They shall also take responsibility to setup Muhalla Ajivak Council in their neighboring Muhallas.

15.17 Every Village/Ward with 5 or more Muhalla Ajivak Councils shall setup Village/Ward Ajivak Council. All present and Ex Chairpersons of Muhalla Ajivak Councils shall elect 5 executive members among themselves by secret voting and all others shall be the members of **Village/Ward Ajivak Council**. They will also elect Ajivak BDC member to form Ajivak Block Development Council. Elected Ajivak BDC members shall elect executive council members of Ajivak BDC.

15.18 All present and Ex Chairpersons of the Village/Ward Ajivak Councils and present and Ex Ajivak BDC members in a Block shall elect 5 executive members of **Block Ajivak Council** among themselves by secret voting.

15.19 Chairpersons of Ward Ajivak councils shall form Ajivak Town Area Council, Ajivak Notified Area Council, Ajivak Municipality Council or Ajivak Munucipal Corporation accordingly. Chairpersons of such Councils shall report to the corresponding higher Ajivak Council in which they exist.

15.15 बैठक की सूचना लिखित रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या डाक द्वारा मुहल्ला / ग्राम / वार्ड / ब्लॉक / जिला / राज्य / राष्ट्रीय आजीवक परिषदों के सदस्यों को निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले भेजी जाएगी। मुहल्ला / ग्राम / वार्ड / ब्लॉक / जिला / राज्य / राष्ट्रीय आजीवक परिषद के संबंधित अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ एक छोटी सूचना अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

15.16 प्रत्येक गांव / वार्ड को **100 (50-149)** मतदाताओं / वयस्कों के साथ कई मुहल्ले में विभाजित किया जाएगा। **5** या अधिक सदस्यों वाला प्रत्येक मुहल्ला, मुहल्ला आजीवक परिषद की स्थापना करेगा। मुहल्ला के सभी सदस्य 5 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करेंगे। मुहल्ला आजीवक परिषद अन्य गतिविधियों के अलावा सभी वयस्कों / मतदाताओं के बीच डोर टू डोर अभियान के माध्यम से आजीवक विचारधारा के प्रचार की जिम्मेदारी लेगी और उनकी स्वीकृति लेने के बाद ही उन्हें सदस्य बनाएगी।

15.17 प्रत्येक गाँव / वार्ड में, 5 या अधिक मुहल्ला आजीवक परिषदों के साथ गाँव / वार्ड आजीवक परिषद की स्थापना की जाएगी। मुहल्ला आजीवक परिषदों के सभी उपस्थित और पूर्व अध्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा आपस में 5 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करेंगे और अन्य सभी ग्राम / वार्ड आजीवक परिषद के सदस्य होंगे। वे आजीवक ब्लॉक विकास परिषद बनाने के लिए आजीवक बीडीसी सदस्य का चुनाव भी करेंगे। निर्वाचित आजीवक बीडीसी सदस्य, आजीवक बीडीसी के कार्यकारी परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे।

15.18 ग्राम / वार्ड आजीवक परिषदों के सभी वर्तमान और भूतपूर्व अध्यक्षों और एक ब्लॉक में मौजूद और वर्तमान आजीवक बीडीसी सदस्य अपने में से, गुप्त मतदान द्वारा, ब्लॉक आजीवक परिषद् के 5 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करेंगे।

15.19 वार्ड आजीवक परिषदों के अध्यक्ष अपने अनुसार आजीवक टाउन एरिया काउंसिल, आजीवक नोटिफाइड एरिया काउंसिल, आजीवक म्युनिसिपलिटी काउंसिल या आजीवक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएंगे। ऐसी परिषदों के अध्यक्ष उसी उच्चतर आजीविक परिषद को रिपोर्ट करेंगे जिसमें वे मौजूद हैं।

15.20 All present and Ex-Executive Council Members of Block Ajivak Councils in a district shall elect 5 executive members of **District Ajivak Council** among themselves by secret voting. District Ajivak Council in GB shall elect members for State Ajivak Council and National Ajivak Council by secret voting after giving sufficient time (equal) to present the contestants on the topic "**Why you elect me**".

15.21 State Ajivak Council shall have members equal to the number of MLAs in the state and National Ajivak Council shall have members equal to the number of MPs in the union. State /National Ajivak Councils shall have Executive Council members equal to ministers in a State/Union**.**

15.22 Small Union Territories (UTs) shall be merged with nearest state and bigger one may be treated as a State.

15.23 Removal of any Executive Council members including elected Ajivak Village Head, Ward Member, Panchayat Sadasya, BDC Member, MLA, MP etc shall be initiated either by GBM of the concerned council which elected them or by the Board if found acting against their direction(s).

15.24 Executive Council Meeting (ECM) shall meet minimum once in between 1 to 15 of every month. If the Chairperson fails to call at least one ECM in a quarter then the Chairperson, will be automatically removed. In this situation any EC member can call ECM and the Chairperson had to be present in ECM and handover the charges to the Vice Chairperson. The vacant post shall be filled accordingly.

15.20 एक जिले में ब्लॉक आजीवक परिषदों के सभी वर्तमान और पूर्व-कार्यकारी परिषद के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा जिला आजीवक परिषद के 5 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करेंगे। जीबी में जिला आजीवक परिषद राज्य आजीवक परिषद और राष्ट्रीय आजीवक परिषद के लिए सदस्यों को गुप्त मतदान द्वारा "आप मुझे क्यों चुने" विषय पर प्रतियोगियों को पर्याप्त समय (बराबर) के लिए प्रस्तुत करने के बाद चुनाव करेंगे।

15.21 राज्य आजीवक परिषद में राज्य में विधायकों की संख्या के बराबर सदस्य होंगे और राष्ट्रीय आजीवक परिषद में संघ में सांसदों की संख्या के बराबर सदस्य होंगे। राज्य / राष्ट्रीय आजीवक परिषदों में एक राज्य / संघ में मंत्रियों के बराबर कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे।

15.22 छोटे केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) को निकटतम राज्य में विलय कर दिया जाएगा और बड़े को राज्य के रूप में माना जा सकता है।

15.23 निर्वाचित आजीवक ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, विधायक, सांसद आदि सहित किसी भी कार्यकारी परिषद के सदस्यों को हटाना या तो संबंधित परिषद के जीबीएम द्वारा शुरू किया जाएगा जो उन्हें निर्वाचित करते हैं या बोर्ड द्वारा उनके निर्देश(शों) के खिलाफ कार्य करते हुए पाए जाने पर।

15.24 कार्यकारी परिषद की बैठक (**ECM**) प्रत्येक माह के 1 से 15 के बीच कम से कम एक बार बैठक करेगी। यदि चेयरपर्सन एक तिमाही में कम से कम एक **ECM** को कॉल करने में विफल रहता है, तो चेयरपर्सन को स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी **EC** सदस्य **ECM** को बुला सकता है और अध्यक्ष को **ECM** में उपस्थित रहना होगा और उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपना होगा। रिक्त पद उसी के अनुसार भरा जाएगा।

15.25 General Body Meeting (GBM) shall meet minimum once in first month of every Quarter. If the Chairperson fails to call at least one GBM in a quarter in which the annual accounts are finalized then the Chairperson, will be automatically removed. In this situation any EC member can call ECM and the Chairperson have to present in ECM and handover the charges to the Vice Chairperson. The vacant post shall be filled accordingly.

16.0 ACCOUNTS AND AUDIT:

The Board shall maintain account books as per standard norms and needs of the Trust for each Financial Year ending thirty first March and get it audited annually as per prescribed procedure. The Board shall appoint the auditors for and on behalf of the Trust. The audited accounts shall be placed before the board as soon as possible for the approval and filing of the Tax Returns and other needs.

17.0 BANK ACCOUNTS AND ITS OPERATION:

17.1 The board of Trustees shall open an account(s) in any bank in the name of **"Ajivak Welfare and Development Research Trust".** Such accounts shall be operated by the **Chairperson** of the Board.

17.2 Every council at Muhalla/Village/Ward/Block/District/ State/National level shall open an account in any nearest Nationalized Bank, in the name of the respective council operated jointly by any two out of Chairperson, Secretary and Treasurer.

17.3 Board of trustees shall open bank account(s) in the name of institution/organization founded by the Trust. Such banks accounts shall be operated by such persons as authorized by the board of trustees from time to time.

15.25 जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) प्रत्येक तिमाही के पहले महीने में कम से कम एक बार होगी। यदि अध्यक्ष एक तिमाही में कम से कम एक GBM को कॉल करने में विफल रहता है जिसमें वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिया जाता है तो अध्यक्ष को स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी EC सदस्य ECM को बुला सकता है और अध्यक्ष को ECM में पेश करना होगा और उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपना होगा। रिक्त पद उसी के अनुसार भरा जाएगा।

16.0 हिसाब किताब और लेखा परीक्षा:

बोर्ड इकतीस मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मानक मानदंडों और ट्रस्ट की जरूरतों के अनुसार खाता पुस्तकों को बनाए रखेगा और इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सालाना ऑडिट करायेगा। बोर्ड ट्रस्ट की ओर से लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। टैक्स रिटर्न की मंजूरी और दाखिल करने और अन्य जरूरतों के लिए ऑडिट किए गए खातों को जितनी जल्दी हो सके बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

17.0 बैंक के खाते और इसके संचालन:

17.1 ट्रस्टी का बोर्ड किसी भी बैंक में "**आजीवक कल्याण एवं विकास अनुसंधान ट्रस्ट**" के नाम से एक खाता खोलेगा। ऐसे खातों को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाएगा।

17.2 मुहल्ला / ग्राम / वार्ड / ब्लॉक / जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक परिषद, संबंधित परिषद के नाम पर, किसी भी निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगी, जिसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोई दो लोग संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।

17.3 ट्रस्ट के बोर्ड ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था / संगठन के नाम से बैंक खाता खोलेंगे। ऐसे बैंक खाते ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, जो समय-समय पर न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकृत हैं।

18.0 LEAGAL PROCEDURES:

18.1 All legal proceedings by and on behalf of the Trust shall be instituted/conducted/defended in the name of the Trust through the Trustees or though any other person so authorized by the Board.

18.2 In case of conflict only the Jurisdiction in which the Trust Office is situated, shall be valid.

19.0 INDEMNITY TO THE TRUSTEES:

19.1 No trustee, while acting in execution and in performance of his/her duties and powers conferred under the trust, shall be made liable for any loss caused to the Trust arising by reason of any improper investment made bonafide and in good faith or for negligence or fraud of any agent employed by them or by reason of any error of judgment or act, default, mistake or omission occurring in good faith and other bonafide belief by any Trustee or by reason of any other matter or thing except willful and individual wrong or fraud on part of the Trustee who is sought to be liable.

19.2 Every trustee shall be indemnified out of the Trust Funds against all losses or expenses incurred in the discharge of his/her duties except such as all losses or expenses incurred shall happen through willful neglect and such Trustee shall be responsible only for such money, funds or property as he /she shall have actually received or handled.

20.0 OTHER PROVISIONS:

20.1 The income and property of the Trust whensoever and howsoever shall be applied surely in the promotion of its objects as set forth in this Trust Deed.

20.2 Nothing in the Trust Deed shall prevent the payment by the Trust in good faith of reasonable remunerations to any of its officers or staff (other than in their role as Trustees) or to any other persons (other than in their role as Trustees) in return for any services actually rendered to the Trust.

18.0 कानूनी प्रक्रियाएं:

18.1 ट्रस्ट द्वारा और ट्रस्ट की ओर से सभी कानूनी कार्यवाही को न्यासियों के माध्यम से या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम पर स्थापित / संचालित / बचाव की जाएगी।

18.2 टकराव के मामले में केवल अधिकार क्षेत्र, जिसमें ट्रस्ट कार्यालय स्थित है, मान्य होगा।

19.0 ट्रस्टी को क्षतिपूर्ति:

19.1 कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त उसके कर्तव्यों और शक्तियों के निष्पादन और प्रदर्शन में किए गए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा जो उसके किसी भी अनुचित निवेश के कारण हुआ हो, और जो किसी ट्रस्टी या अन्य द्वारा साफ नीयत से या लापरवाही से किया गया हो या उनके द्वारा नियोजित किसी भी एजेंट की धोखाधड़ी या निर्णय या कार्य की किसी त्रुटि के कारण, दोष, गलती या चूक या किसी अन्य मामले या चीज़ के कारण, जानबूझकर और व्यक्तिगत गलती या धोखाधड़ी को छोड़कर, हुई हो।

19.2 हर ट्रस्टी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाले सभी नुकसानों या खर्चों, जानबूझ कर किये गए नुकसानों या खर्चों के आलावा, की भरपाई ट्रस्ट फंड से की जाएगी, और ऐसे ट्रस्टी केवल ऐसे धन, निधि या संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे जिसे वह वास्तव में प्राप्त किया या संभाला हो।

20.0 अन्य प्रावधान:

20.1 ट्रस्ट की आय और संपत्ति जो भी हो और जैसी भी हो, निश्चित रूप से, इस ट्रस्ट डीड में निर्धारित की गई उद्देश्यों के प्रचार के लिए लागू की जाएगी।

20.2 ट्रस्ट डीड में कुछ भी ट्रस्ट द्वारा अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी (ट्रस्टी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा) या किसी अन्य व्यक्ति (ट्रस्टी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा) को ट्रस्ट को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए साफ नीयत से उचित पारिश्रमिक के भुगतान के लिए नहीं रोक सकता है।

20.3 The liability of the Trustees is limited.

20.4 The accounts shall be kept all sums of money received and expended by the Trust the matters in respect of which such receipt and expenditure take place, and of the property, credits and liabilities of the Trust, and subject to any reasonable restrictions as to the time and manner of inspecting the same that may be imposed accordance with the regulations of the Trust for the time being in force, the accounts shall be open to the inspection of the Trustees. Once at least every year, the accounts of the Trust shall be examined and correctness of the balance sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditors.

21.0 WINDING UP:

The **Deed** is irrevocable. However in case of any unforeseen circumstances, in the event of dissolution or winding up of the trust, the assets remaining as on the date of such event shall under no circumstances revert to the Settlor or distributed among the Trustees and the same shall be provided to any other trust or organization engaged in similar activities as decided by the Board, after paying off all the liabilities.

"Ajivak respects all religions except superstitions."

20.3 ट्रस्टियों का दायित्व सीमित है।

20.4 ट्रस्ट द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी रकमों का, जिसके संबंध में ऐसी रसीदें और खर्च किये गए हैं, ट्रस्ट की संपत्ति, क्रेडिट और देनदारियां का व्योरा रखा जायेगा, और निरीक्षण के समय और तरीके के किसी भी उचित प्रतिबंध के अधीन, ट्रस्ट के उस समय लागू नियमों के अनुसार, खाते ट्रस्टियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। ट्रस्ट के खातों को हर साल कम से कम एक बार जाँच किया जायेगा और बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते की शुद्धता को एक या अधिक योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

21.0 समापन:

विलेख अपरिवर्तनीय है। हालाँकि, किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में, ट्रस्ट के विघटन या समापन की स्थिति में, ऐसी घटना की तारीख तक छोड़ी गई संपत्ति किसी भी परिस्थिति में संस्थापक को वापस नहीं की जाएगी या ट्रस्टियों के बीच वितरित नहीं की जाएगी और उसे, सभी देनदारियों का भुगतान करने के बाद, बोर्ड द्वारा तय की गई, समान गतिविधियों में लगे किसी अन्य ट्रस्ट या संगठन को प्रदान की जाएगी।

"आजीवक अंधविश्वास को छोड़कर सभी धर्मों का सम्मान करता है।"

Minimum Guidelines of **Ajivak Policies** to achieve the main objectives of **AWDRT** approved by the **Board of Trustees** on **15.08.2021** by **Circulation of Resolution.**

A.0 Ajivak Education Policy:

"Mission Quality, Equal and completely free Education for all"

A1.0 Introduction:

There is very high level of inequality in the education system of India. It is divided in to two groups, first one is for poor/deprived people which is free to make them just literate in their own language and limit them to join the labour class and other one is for economically rich/privileged people which is costly and in English language to lead them in all walks of life to make them **Scientists**, **Engineers**, **Doctors**, **Advocates**, **Judges**, **Administrators**, **Economists**, **Professors, Chartered Accountants, Company Secretaries and other Intellectuals** etc. Above two groups are mainly based on medium of instruction and it's very clear that the education system in **English** medium has several advantages compared to **local languages** including **Hindi,** the **official language** of India. Now let's know who wants their wards to study in English medium. They are all economically rich people, government/ private servants, political leaders, business men etc. All the political leaders who oppose English medium schools put their wards in English Medium Schools which indicates their mentality to restrict majority people to join them. This way they are getting the perfect competition free life and majority resources without doing useful work.

प्रस्ताव के परिसंचरण द्वारा **15.08.2021** को **न्यासी बोर्ड** द्वारा अनुमोदित **AWDRT** के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए **आजीवक नीतियों** के न्यूनतम दिशानिर्देश।

A.0 आजीवक शिक्षा नीति:

"हमारा मिशन गुणवत्तापूर्ण, सभी के लिए समान और पूर्ण रूप से मुफ्त शिक्षा"

A.1 परिचय:

भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत ही असमानता है। यह दो समूहों में विभाजित है, पहली गरीब / वंचित लोगों के लिए है जो उन्हें अपनी भाषा में सिर्फ साक्षर बनाने के लिए मुफ्त है और उन्हें श्रमिक वर्ग में शामिल होने के लिए सीमित करता है और दूसरी आर्थिक रूप से समृद्ध / विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है जो महंगी है और अंग्रेजी भाषा में है जो उन्हें वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रशासक, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और अन्य बौद्धिक लोग आदि बनाने के लिए है जिससे वे जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें । उपर्युक्त दोनों समूह मुख्य रूप से शिक्षा के माध्यम पर आधारित हैं और यह बहुत स्पष्ट है कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रणाली के हिंदी, भारत की आधिकारिक भाषा, सहित स्थानीय भाषाओं की तुलना में, कई फायदे हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें। वे सभी आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, सरकारी / निजी सेवक, राजनीतिक नेता, व्यवसायी आदि। वे सभी राजनीतिक नेता जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का विरोध करते हैं, अपने वच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं, जो बहुसंख्यक लोगों को उनके साथ जुड़ने से रोकने की उनकी मानसिकता को इंगित करता है। इस तरह वे उपयोगी काम किए बिना सही प्रतिस्पर्धा मुक्त जीवन और अधिकांश संसाधनों का आनंद ले रहे हैं।

A2.0 Objectives of Education Policy:

A2.1 Equal, quality and completely free education for all to develop complete understanding about their Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (**SWOT**), their rights, duties and the duty of their representatives, etc so that they can take right decision and earn their livelihood on their own with due respect within the constitutional frame work.

A2.2 To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform and free from blind faith.

A2.3 To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities, duties /functions and responsibilities.

A3.0 Salient features of the Policy:

A3.1 Education up to secondary level (class 12) shall be equal, quality and completely free for all.

A3.2 All India two language education policy shall be followed. English shall be compulsory throughout the country with one local language of the state (only one local language of the state).

A3.3 Additional languages courses shall be made available depending on teacher's availability.

A3.4 All Union Activities shall be done in English and Hindi and All State activities shall be done in English and their respective local languages of the state.

A3.5 All form of examinations shall be two language patterns.

A3.6 No mid-day meal or any other free food service in the school.

A3.7 Uniform, books and other educational aids shall be provided completely free to all children up to 12^{th} standard.

A3.8 All form of private coaching schools shall be banned. Only free coaching shall be conducted for improvement for poor understanding students in their respective school campuses.

A.2 शिक्षा नीति के उद्देश्य:

A2.1 सभी के लिए उनकी सामर्थ्यों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों (SWOT), उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उनके प्रतिनिधियों के कर्तव्य आदि के बारे में पूरी समझ विकसित करने के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण और पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा ताकि वे सही निर्णय ले सकें और संवैधानिक फ्रेम वर्क के भीतर उचित सम्मान के साथ अपनी आजीविका खुद कमा सकें।

A2.2 अंध विश्वास से मुक्त वैज्ञानिक सोच, मानववाद और पूछताछ और सुधार की भावना का विकास करना।

A2.3 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, कर्तव्यों / कार्यों और जिम्मेदारियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना।

A3.0 नीति की मुख्य विशेषताएं:

A3.1 माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) तक की शिक्षा सभी के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण और पूरी तरह से निःशुल्क होगी।

A3.2 अखिल भारतीय द्विभाषा शिक्षा नीति का पालन किया जाएगा। राज्य की एक स्थानीय भाषा (राज्य की केवल एक स्थानीय भाषा) के साथ पूरे देश में अंग्रेजी अनिवार्य होगी।

A3.3 अतिरिक्त भाषा पाठ्यक्रम शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

A3.4 सभी संघ की गतिविधियाँ अंग्रेजी और हिंदी में की जाएंगी और सभी राज्य की गतिविधियां अंग्रेजी और राज्य की उनकी संबंधित स्थानीय भाषाओं में की जाएंगी।

A3.5 सभी प्रकार की परीक्षाएं दो भाषा पैटर्न पर होंगी।

A3.6 स्कूल में मध्याह्न भोजन या कोई अन्य भोजन सेवा नहीं।

A3.7 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को वर्दी, किताबें और अन्य शैक्षिक सहायता पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की जाएगी।

A3.8 सभी प्रकार के निजी कोचिंग स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल कमजोर समझ रखने वाले छात्रों के सुधार के लिए उनके संबंधित स्कूल परिसरों में निःशुल्क कोचिंग संचालित की जाएगी।

A3.9 All schools (Play, Primary, Middle, High and Intermediate) shall be of same standard.

A3.10 Teacher student ratio shall ≤ 30.

A3.11 There shall be ≥ two semesters in a year.

A4.0 Education pattern: 2+5+3+2+2 system:

Play School (2 years)	Primary School (5 years)	Middle School (3 years)	High School (2 years)	Intermediate School (2 years)
Play Class 1-2	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10	Class 11-12
Ages 4-6	Ages 6-11	Ages 11-14	Ages 14-16	Ages 16-18

A5.0 Higher education:

A5.1 There shall be three levels in higher education (1) Graduation (4 years, Semester based, Certificate + Diploma + Degree), (2) Post Graguate (PG) (1 year) and (3) Doctorate (PhD) by research (4 years).

A5.2 All higher education will be on job, preferably sponsored by the employer concerned. No one shall be deprived from it.

A5.3 Fee structure shall be same for same course in all Public or Private Colleges and Universities. All private Colleges shall be attached with Public Universities. No private Universities.

A5.4 Course content of any subject shall also be the same though out India in all Public Universities and Public or Private Colleges.

A6.0 Syllabus:

A6.1 There shall be same syllabus up to class 12.

A6.2 There shall be minimum 5 courses at every label i.e. (1) English, (2) One state language, (3) Science, (4) Mathematics and (5) General Study (Public Services National Security (internal and external), Natural Resources etc.)

A3.9 सभी स्कूल (प्ले, प्राइमरी, मिडिल, हाई और इंटरमीडिएट) समान अस्तर के होंगे।

A3.10 शिक्षक छात्र अनुपात ≤ 30 होगा।

A3.11 एक वर्ष में ≥ 2 सेमेस्टर होंगे।

A4.0 शिक्षा पद्धति: 2 + 5 + 3 + 2 + 2 प्रणाली:

खेलने का स्कूल (2 वर्ष)	प्राथमिक विद्यालय (5 वर्ष)	मध्य विद्यालय (3 वर्ष)	हाई स्कूल (2 वर्ष)	इंटरमीडिएट स्कूल (2 साल)
खेल कक्षा 1-2	कक्षा 1-5	कक्षा 6-8	कक्षा 9-10	कक्षा 11-12
उम्र 4-6	उम्र 6-11	उम्र 11-14	उम्र 14-16	उम्र 16-18

A5.0 उच्च शिक्षा:

A5.1 उच्च शिक्षा में तीन स्तर होंगे (1) स्नातक (4 वर्ष, सेमेस्टर आधारित, प्रमाणपत्र + डिप्लोमा + डिग्री), (2) पोस्ट ग्रेजुएट (PG) (1 वर्ष) और (3) डॉक्टरेट (PhD) अनुसंधान द्वारा (4 वर्ष).

A5.2 सभी उच्च शिक्षा नौकरी के दौरान, विशेष रूप से संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रायोजित होगी । इससे कोई वंचित नहीं रहेगा।

A5.3 सभी सार्वजनिक या निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना समान होगी। सभी निजी कॉलेजों को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाएगा। कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं।

A5.4 किसी भी विषय की पाठ्यक्रम सामग्री भी सम्पूर्ण भारत के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक या निजी कॉलेजों में समान होगी।

A6.0 पाठ्यक्रम:

A6.1 कक्षा 12 तक समान पाठ्यक्रम होगा।

A6.2 प्रत्येक लेबल पर न्यूनतम 5 पाठ्यक्रम होंगे अर्थात (1) अंग्रेजी, (2) एक राज्य भाषा, (3) विज्ञान, (4) गणित और (5) सामान्य अध्ययन (लोक सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा (आंतरिक और बाहरी), प्राकृतिक संसाधन आदि)

A6.3 Syllabus shall be decided by Union Board of Secondary Education (UBSE) in consultation with State Board of Secondary Education (SBSE).

A6.4 There shall be specialization from graduation onward. It shall be Science, Health Care, Engineering, Accounting, Law and Justice, Public Administration, Management, National Security (Internal and External), Fashion Design, Dance and Music, Language, Company Secretary, History, Geography etc.

A7.0 Evaluation:

A7.1 Students shall be awarded grades and marks in every examination as given bellow.

"A1" grade for ≥ 60% marks.
"A2" grade for ≥ 45% Marks.
"A3" grade for ≥ 33% Marks
"U" grade for unqualified students < 33 % marks.

A7.2 There shall be only one chance for improvement for unqualified students.

A8.0 Teacher Appointment and Training:

A8.1 There shall be single window entry for all teachers' appointment and further training.

A8.2 Initial appointment shall be done based on merit list of all India examination conducted after 12^{th} class. For State services, State Rank and for Union Services, Union Rank shall be followed.

A8.3 Complete further training/education/promotion shall be done based on the appropriate common examination. No interview at any stage.

A8.4 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

A6.3 पाठ्यक्रम संघ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UBSE) द्वारा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SBSE) के परामर्श से तय किया जाएगा।

A6.4 विशेषज्ञता स्नातक स्तर और उसके आगे होगी। यह विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, लेखा, कानून और न्याय, लोक प्रशासन, प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा (आंतरिक और बाहरी), फैशन डिजाइन, नृत्य और संगीत, भाषा, कंपनी सचिव, इतिहास, भूगोल आदि होंगे।

A7.0 मूल्यांकन:

A7.1 छात्रों को प्रत्येक परीक्षा में नीचे दिए गए अनुसार ग्रेड और अंक प्रदान किए जाएंगे।

"A 1" ग्रेड ≥60% अंकों के लिए

"A 2" ग्रेड ≥45% अंकों के लिए

"A 3" ग्रेड ≥33 % अंकों के लिए

असफल छात्रों के लिए "U " ग्रेड <33% अंक

A7.2 असफल छात्रों के लिए सुधार का केवल एक मौका होगा।

A8.0 शिक्षक नियुक्ति और प्रशिक्षण:

A8.1 सभी शिक्षकों की नियुक्ति और आगे के प्रशिक्षण के लिए सिंगल विंडो एंट्री होगी।

A8.2 प्रारंभिक नियुक्ति 12 वीं कक्षा के बाद आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर की जाएगी। राज्य सेवाओं के लिए, राज्य रैंक और संघ सेवाओं के लिए, संघीय रैंक का पालन किया जाएगा।

A8.3 उपयुक्त सार्वजनिक परीक्षा के आधार पर आगे का प्रशिक्षण/शिक्षा/पदोन्नति पूर्ण की जाएगी। किसी भी स्तर पर कोई साक्षात्कार नहीं।

A8.4 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

A9.0 Funding:

A9.1 Public investment in education both by Union Government and all State Governments shall be minimum 6% of GDP or minimum 20 % of all public expenditure, whichever is higher.

A9.2 A separate Corporate Social Responsibility (CSR), 6% of Profit Before Tax (PBT) shall be deposited in **Union Education Fund** (**UEF**).

A9.3 Separate Funding up to play school shall be done by ministry of Women and Child Welfare and Ministry of Health and Nutrition.

A9.4 **UEF** shall be made available online for public for scrutiny and to contribute to the fund.

A9.5 **UEF** shall be shared by states in proportion to their population.

A10.0 Private Schools:

A10.1 All private schools who meet the norms shall be made government aided in phased manner.

A10.2 Those who could not meet the standards/norms shall be derecognized.

A11.0 School Campuses:

A11.1 Anganwadi, Primary, Middle, High School, Intermediate School, College and universities shall be unified.

A11.2 Anganwadi Centers shall be in every village very close to primary schools.

A11.3 Anganwadi centre may have creche facility also.

A11.4 Location of schools from class 6 to 12 shall be such that student shall reach to the school on foot or by bicycle on their own.

A9.0 वित्त पोषण:

A9.1 केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6% या सभी सार्वजनिक व्यय का न्यूनतम 20%, जो भी अधिक हो।

A9.2 एक अलग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), कर पूर्व लाभ का 6% (PBT) संघ शिक्षा कोष (UEF) में जमा किया जाएगा।

A9.3 प्ले स्कूल के लिए अलग से वित्त पोषण महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य और पोषण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

A9.4 UEF को जनता के लिए छानबीन के लिए और निधि में योगदान करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

A9.5 UEF को राज्यों द्वारा उनकी जनसंख्या के अनुपात में साझा किया जाएगा।

A10.0 निजी स्कूल:

A10.1 मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निजी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त किया जाएगा।

A10.2 जो मानकों/मानदंडों को पूरा नहीं कर सकेंगे उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

A11.0 स्कूल परिसर:

A11.1 आंगनबाडी, प्राथमिक, मध्य, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय एकीकृत होंगे।

A11.2 आंगनबाडी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के बहुत करीब हर गांव में होंगे।

A11.3 आंगनबाडी केन्द्र में शिशुगृह की सुविधा भी हो सकती है।

A11.4 कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों का स्थान ऐसा होगा कि छात्र पैदल या साइकिल से स्कूल खुद जा सकें।

B.0 Ajivak Employment Policy
(*Mission Guaranteed Compulsory employment for all*)

B1.0 Introduction:

There is very high level of unemployment in India. The wage ratio is very-very high between the Pay of the Reliance CMD and the minimum guaranteed pay fixed by NREGA. At present it's about 2500 (12500000/5000). This high wage ratio forces employees to be unnatural and makes them salves to their higher officials. Instead of following the rules and regulations within the constitutional frame work they follow their higher officials. Those who try to follow the rules and regulations are forced to be sidelined and even dismissed on fribulous charges. The pathetic condition of judiciary and delayed justice encourages executory to violate constitution. Directive principles of state policy direct the state to provide adequate means of livelihood with minimum wage ratio. Unemployed youth are forced to join useless activities and addicted to injurious products and drinks which causes further harm to them and the society. Government, instead of acting as per directive principles of state policy, it's only making us fools by distributing some freebees. Only useful work can give us happiness, wellbeing and prosperity. Hence every one above the age of 18 must be guaranteed compulsory useful employment for their welfare and to make India self reliance developed country.

B2.0 Objectives of Employment policy:

Its objective is to follow **Directives Principles of State Policy** and provide every one, above the age of 18 years, a guaranteed and compulsory useful employment with the minimum wage ratio (≤ 5).

B.0 आजीवक रोजगार नीति:

(सभी के लिए गारंटीकृत अनिवार्य रोजगार का मिशन)

B1.0 परिचय:

भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊँचा है। रिलायंस के CMD के वेतन और NREGA द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत वेतन के बीच वेतन अनुपात बहुत अधिक है। वर्तमान में यह लगभग 2500 (125 00000 /5000) है। यह उच्च वेतन अनुपात कर्मचारियों को अप्राकृतिक होने के लिए मजबूर करता है और उन्हें अपने उच्च अधिकारियों का गुलाम बनाता है। संवैधानिक ढांचे के भीतर नियमों और विनियमों का पालन करने के बजाय वे अपने उच्च अधिकारियों का पालन करते हैं। जो लोग नियमों और विनियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दरकिनार करने के लिए मजबूर किया जाता है और यहां तक कि तुच्छ आरोपों में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है। न्यायपालिका की दयनीय स्थिति और विलंबित न्याय, कार्यपालिका को संविधान का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को न्यूनतम मजदूरी अनुपात के साथ पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं। बेरोजगार युवाओं को बेकार की गतिविधियों में शामिल होने और हानिकारक उत्पादों और पेय के आदी होने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें और समाज को और नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के बजाय, केवल कुछ मुफ्त में बांटकर हमें मूर्ख बना रही है। केवल उपयोगी कार्य ही हमें ख़ुशी, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है । इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को उनके कल्याण के लिए अनिवार्य उपयोगी रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर विकसित देश बनाना चाहिए।

B2.0 रोजगार नीति के उद्देश्य:

इसका उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना और 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी अनुपात (≤ 5) के साथ एक गारंटीकृत और अनिवार्य उपयोगी रोजगार प्रदान करना है।

B3.0 Salient features of Ajivak Employment policy:

B3.1 There shall be employment exchange in every **District** (may be extended up to **Village** level) in which any unemployed fellow above 18 years may register online.

B3.2 Minimum guaranteed pay shall be evaluated every year by the Union and State Government which will fix maximum pay**.**

B3.3 No one, either public or private, be allowed to pay beyond the minimum and maximum **Pay Band** fixed annually.

B3.4 There shall be All India/State Level examination to be conducted by UPSC/SPSCs to prepare All India/State merit list every year.

B3.5 All **Union/State** employment including **Private** shall be done based on this merit list within the pay range approved by the government. Not more than two attempts and second attempt only on proper medical ground.

B3.6 All further education and training shall be provided preferably on job by the employer with the agreement to pay back the charges with reasonable intrest if they leave the job within the bond period.

B3.7 **A**nnual **P**erformance **A**ppraisal **R**eport (**APAR**) shall be based only on allotted work and its performance in terms of measurable quantity/quality.

B3.8 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

B3.9 Experts may be employed only for specific purposes but not for any executive/administrative post.

B3.10 Anyone found involved in any form of begging shall be jailed and given suitable training for some job and thereafter given accordingly employment.

.

B3.0 आजीवक रोजगार नीति की मुख्य विशेषताएं:

B3.1 प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय होगा (**गांव** स्तर तक बढ़ाया जा सकता है) जिसमें 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी बेरोजगार साथी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है।

B3.2 न्यूनतम गारंटीकृत वेतन का मूल्यांकन हर साल संघ और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जो अधिकतम वेतन तय करेगा।

B3.3 किसी को भी, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, वार्षिक रूप से निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम वेतन बैंड से अधिक भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

B 3.4 हर साल अखिल भारतीय / राज्य योग्यता सूची तैयार करने के लिए **UPSE / SPSE** द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय / राज्य स्तरीय परीक्षा होगी।

B3.5 निजी सहित सभी संघ / राज्य रोजगार सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन सीमा के भीतर इस योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। दो से अधिक प्रयास नहीं और दूसरा प्रयास केवल उचित चिकित्सा आधार पर।

B3.6 आगे की सभी शिक्षा और प्रशिक्षण संभवतः नियोक्ता द्वारा अनुबंध के साथ प्रदान किया जाएगा यदि वे बांड अवधि के भीतर नौकरी छोड़ते हैं तो उचित ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा ।

B3.7 वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (**APAR**) केवल आवंटित कार्य और मापने योग्य मात्रा/गुणवत्ता के आधार पर उसके प्रदर्शन पर आधारित होगी।

B3.8 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

B3.9 विशेषज्ञों को केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है लेकिन किसी कार्यकारी/प्रशासनिक पद के लिए नहीं।

B3.10 किसी को भीख मांगते पाए जाने पर जेल भेज दिया जाएगा और किसी नौकरी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उसके अनुरूप रोजगार दिया जाएगा।

B3.11 Guaranteed pension for all after mandatory qualifying service/age limit. No one shall be paid any pension without completing qualifying service/crossing age limit.

B3.12 All public and private employees must retire at the age of 60

B4.0 Pay Structure:

B4.1 There shall be 5 levels in the pay. It shall be revised every year but ratio between minimum (entry level) and maximum (retirement level) shall be ≤ 5.

B4.2 Let's assume the minimum pay fixed to be Rs 10000 then the max pay must be ≤ Rs 50000. There shall be 5 levels of pay i.e. **Level-1** to **Level-4** for organizational pay and **Level-5** for all constitutional posts above the post the Chief Secretary of India.

B4.5 No one shall be allowed to work more than 8 hrs a day including 1 hrs lunch break and 6 days a week.

B4.6 There shall be uniform pay for all services including defence, judiciary, medical, scientific etc. and only hardship allowances may be paid on case to case basis.

"An Ajivak fisrt understands and then acts accordingly"

B3.11 अनिवार्य अर्हक सेवा/आयु सीमा के बाद सभी के लिए गारंटीशुदा पेंशन। अर्हक सेवा/आयु सीमा पार किए बिना किसी को भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

B3.12 सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त जरूर होना चाहिए।

B4.0 वेतन संरचना:

B4.1 वेतन में 5 स्तर होंगे। इसे हर साल संशोधित किया जाएगा लेकिन न्यूनतम (प्रवेश स्तर) और अधिकतम (सेवानिवृत्ति स्तर) के बीच का अनुपात ≤ 5 होगा।

B4.2 मान लें कि न्यूनतम वेतन 10000 रुपये निर्धारित किया गया है तो अधिकतम वेतन ≤ 50000 होना चाहिए। वेतन के 5 स्तर होंगे यानी।
लेवल-1 से लेवल-4 तक संगठनात्मक वेतन और
लेवल-5 भारत के मुख्य सचिव के पद से ऊपर के सभी संवैधानिक पदों के लिए।

B4.5 किसी को भी दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक शामिल है और सप्ताह में 6 दिन।

B4.6 रक्षा, न्यायपालिका, चिकित्सा, वैज्ञानिक आदि सहित सभी सेवाओं के लिए एक समान वेतन होगा और मामला दर मामला आधार पर केवल कठिनाई भत्तों का भुगतान किया जा सकता है।

"एक आजीवक पहले समझकर महसूस करता है और तभी तदनुसार कार्य करता है"

C.0 Ajivak Healthcare Policy:

(Mission Contributory Healthcare Facility for All)

C1.0 Introduction:

Health means **Physical** and **Mental** State in perfect order and disease means disordered state of natural body. To maintain the perfect health condition everyone must be guaranteed **right Education (Mental Balance)** and **right Employment (Physical Balance)** with right opportunity of growth. Currently Government Healthcare facilities are deliberately destroyed to generate money by the private players in the healthcare sector in India. While government physicians and supporting staff are very intelligent and hard working but they are not provided proper supply of medicine, testing facility and other necessary support etc. Because of these poor infrastructure and facilities in government healthcare sector, except a few reserved for privileged class, the private players are looting the public either directly or through insurance sector. Traditional knowledge, except allopathy, has been either declined or destroyed or not given due respect and needs to be preserved and propagated through proper education system under single umbrella.

C2.0 Objectives of Ajivak Healthcare Policy:

Its objective is to provide equal healthcare facility for all on contributory basis.

C3.0 Salient Features of the Policy:

C3.1 There shall be Healthcare University (HU) in every district with multidisciplinary Healthcare Research Facility (such as **Homeopathy**, Allopathy, Ayurveda, Naturopathy, Unani, Siddha, Yoga, Acupuncture, Acupressure, Magneto therapy and any other therapy which is able to cure, recover or palliative).

C3.2 Entry and further promotion in any Public/Private Healthcare Facilities shall be based on 12^{th} merit list.

C.0 आजीवक स्वास्थ्य देखभाल नीति:

(सभी के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा सुविधा का मिशन)

C1.0 परिचय:

स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक और मानसिक स्थिति पूर्ण अनुसासन में और रोग का अर्थ है प्राकृतिक शरीर की अव्यवस्थित अवस्था। संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने के लिए सभी को सही शिक्षा (मानसिक संतुलन) और सही रोजगार (शारीरिक संतुलन) की गॉरन्टी होनी चाहिए विकास के उचित अवसर के साथ। वर्तमान में, भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों द्वारा धन उत्पन्न करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को जानबूझकर नष्ट किया जाता है। जबकि सरकारी चिकित्सक और सहायक कर्मचारी बहुत बुद्धिमान और मेहनती हैं, लेकिन उन्हें दवा की उचित आपूर्ति, परीक्षण सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता आदि प्रदान नहीं की जाती है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इन खराब बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के कारण, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए आरक्षित कुछ को छोड़कर, निजी खिलाड़ी या तो सीधे या बीमा क्षेत्र के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं। विषम चिकित्सा को छोड़कर पारंपरिक ज्ञान को या तो अस्वीकार कर दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है या उचित सम्मान नहीं दिया गया है जिसको उचित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक ही छत के नीचे संरक्षित और प्रचारित करने की आवश्यकता है।

C2.0 आजीवक स्वास्थ्य देखभाल नीति के उद्देश्य:

इसका उद्देश्य अंशदायी आधार पर सभी के लिए समान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।

C3.0 नीति की मुख्य विशेषताएं:

C3.1 प्रत्येक जिले में बहु-विषयक स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधा के साथ स्वास्थ्य देखभाल विश्वविद्यालय (HU) होगी (जैसे समचिकित्सा, विषम चिकित्सा, आयुर्वेद, प्रकृति देखभाल, यूनानी, सिद्धा, योग, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटो थेरेपी और कोई भी अन्य चिकित्सा जो इलाज करने, अच्छा करने या आराम देने में सक्षम हो)।

C3.2 किसी भी सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रवेश और आगे पदोन्नति 12 वीं योग्यता सूची के आधार पर होगी।

C3.3 All further education and training shall be provided on job by the HUs with the agreement to pay back the charges with reasonable intrest if they leave the job within the bond period.

C3.4 There shall be 4 years Bachelor of Healthcare (**BH**) programme (**Certificate + Diploma + Degree**). One year Master of Healthcare (**MH**) with specialization and 4 years of Doctoral (**PhD**) programme by research etc.

C3.5 To achieve best health care there shall be enough physicians and supporting staff at every healthcare centre.

C3.6 There shall be Physicians instead of Doctors (Dr.) such as Assistant Physician, Associate Physician, Physician and Sr. Physician etc. For surgery there may be surgeons etc.

C3.7 All beneficiaries shall be issued a medical card.

C3.8 All Private Healthcare Colleges who meet the norms set by the Public Universities may be aided by the government in phased manner. Those who could not meet the standards/norms shall be derecognized.

C3.9 There shall be a **U**nion **C**ouncil for **H**ealthcare and **R**esearch (**UCHR**) and **S**tate **C**ouncil for **H**ealthcare and **R**esearch (**SCHR**) at national and state level comprising of experts of all the recognized systems (pathies) to govern the healthcare system.

C3.10 There shall be 11 member team including the Chairperson in UCHR and SCHRs.

C2.11 Rates for every service provided including medicine shall be approved by the UCHR and SCHRs and no one shall charge more than that.

C3.12 There shall be distribution of healthcare facilities in such a way that no one shall find any difficulty in availing the facility in every condition.

C3.3 आगे की सभी शिक्षा और प्रशिक्षण HUs द्वारा नौकरी पर प्रदान किया जाएगा, यदि वे बांड अवधि के भीतर नौकरी छोड़ते हैं तो उचित ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करने के समझौते के साथ।

C3.4 बैचलर ऑफ हेल्थकेयर (BH) प्रोग्राम (सर्टिफिकेट+डिप्लोमा+डिग्री) 4 साल, विशेषज्ञता के साथ मास्टर ऑफ हेल्थकेयर (MH) एक साल और डॉक्टरेट (PhD) कार्यक्रम अनुसंधान द्वारा 4 साल आदि का होगा।

C3.5 सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त चिकित्सक और सहायक कर्मचारी होंगे।

C3.6 डॉक्टरों (डॉ.) के बजाय चिकित्सक होंगे जैसे सहायक चिकित्सक, सहयोगी चिकित्सक, चिकित्सक और वरिष्ठ चिकित्सक आदि। शल्य चिकित्सा के लिए शल्य चिकित्सक आदि हो सकते हैं।

C3.7 सभी लाभार्थियों को एक मेडिकल कार्ड जारी किया जाएगा।

C3.8 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निजी स्वास्थ्य महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। जो मानकों/मानदंडों को पूरा नहीं कर सकेंगे, उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

C3.9 राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक संघ स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान परिषद (UCHR) और राज्य स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान परिषद (SCHR) होगी, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त प्रणालियाँ (पैथी) के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

C3.10 UCHR और SCHRs में अध्यक्ष सहित 11 सदस्यीय टीम होगी।

C2.11 दवा सहित प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए दरें UCHR और SCHR द्वारा अनुमोदित की जाएंगी और कोई भी इससे अधिक शुल्क नहीं लेगा।

C3.12 स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि किसी को भी हर हाल में सुविधा प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

C3.14 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level in all Public/Private Healthcare Facilities from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

C3.15 Healthcare system shall be based on the following principle **"Highest order of cure shall be rapid, gentle and permanent restoration of the health, or removal and annihilation of disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way, on easily comprehensive principles".**

C4.0 Funding:

C4.1 Healthcare facility shall be available to all, employed or aged above 21years and for their family, on contributory basis. Every family must pay 1% of their income on monthly basis to achieve **Medical Card**.

C4.2 All other people may take health care facility on actual payment basis.

C4.3 There shall be **U**nion **H**ealthcare **F**und (**UHF**) to accumulate all contributions and any other collection for healthcare in India.

C4.4 Public investment in Healthcare both by Union Government and all State governments shall be minimum 8% of GDP or minimum 25 % of all public expenditure, whichever is higher.

C4.5 A separate Corporate Social Responsibility (CSR), 8% of Profit Before Tax (PBT) shall be deposited in **UHF**.

C4.6 **UHF** shall be made available online for public scrutiny and to contribute to the fund.

C4.7 **UHF** shall be shared by states in proportion to their population.

C3.14 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

C3.15 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होगी **"उपचार का उच्चतम क्रम, व्यापक आसान सिद्धांतों पर, स्वास्थ्य की तीव्र, कोमल और स्थायी बहाली, या बीमारी को पूरी तरह से दूर करना और सबसे कम, सबसे विश्वसनीय और सबसे हानिरहित तरीके से समाप्त करना होगा "**।

C4.0 वित्त पोषण:

C4.1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सभी, कार्यरत या 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और उनके परिवार के लिए अंशदायी आधार पर उपलब्ध होगी। मेडिकल कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परिवार को मासिक आधार पर अपनी आय का 1% भुगतान करना होगा।

C4.2 अन्य सभी लोग वास्तविक भुगतान के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा ले सकते हैं।

C4.3 भारत में स्वास्थ्य सेवा के लिए सभी योगदान और किसी भी अन्य संग्रह को जमा करने के लिए संघ स्वास्थ्य देखभाल कोष (UHF) होगा।

C4.4 संघ सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 8% या सभी सार्वजनिक व्यय का न्यूनतम 25%, जो भी अधिक हो, होगा।

C4.5 एक अलग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), कर पूर्व लाभ का 8% (PBT) UHF में जमा किया जाएगा।

C4.6 UHF को सार्वजनिक जांच के लिए और निधि में योगदान करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

C4.7 UHF को राज्यों द्वारा उनकी जनसंख्या के अनुपात में साझा किया जाएगा।

D.0 Ajivak Justice Policy:

(Mission fair, responsible, transparent, un-biased and reasonable Justice for all in time and at affordable cost)

D1.0 Introduction:

There is pathetic condition of judicial system in India. Judicial system is working only and only in favour of rich and privileged class/group of people. There is no justice available for common men in India. Above statement becomes very clear from the decision of Supreme Court in case of Babari Masjid issue etc., lots of pending cases and delay in judice, justice is denied based on **"Justice delayed is justice denied"** principle.

D2.0 Objective of Ajivak Justice Policy:

Its objective is to provide fair, responsible, transparent, un-biased and reasonable justice in **Time** at reasonably low/affordable cost.

D3.0 Salient Features of the Policy:

D3.1 Initial appointment and further promotion in the judicial system shall be from 12th STD based on State merit list and proportionate representation.

D3.2 Higher education such as **Bachelor of Law (BL) programme 4 yeras** (**Certificate + Diploma + Degree**), Master of Law (**ML) with specialization 1 year** and Doctoral Programme (**PhD)** in law by research 4 years etc. shall be provided preferably on job.

D3.3 Further promotion up to High Court Judge shall be based on the performance in the common examination conducted by concerned **State PSC**.

D3.4 Supreme Court judge shall be selected from High Court Judges based on the performance in the common examination conducted by UPSC.

D3.5 Chief justice of High Court and Supreme Court shall be based on Proportionate Rpresentation /Seniority.

D3.6 Number of judges in Supreme Court from every State / Union Territory shall be in the proportion to their population.

D.0 आजीवक न्याय नीति:

(मिशन स्वच्छ, जिम्मेदार, पारदर्शी, निष्पक्ष और उचित न्याय सभी के लिए समय पर और सस्ती कीमत पर)

D 1.0 परिचय:

भारत में न्याय व्यवस्था की दयनीय स्थिति है। न्यायिक प्रणाली केवल और केवल अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग/लोगों के समूह के पक्ष में काम कर रही है। भारत में आम आदमी के लिए कोई न्याय उपलब्ध नहीं है। बाबरी मस्जिद मुद्दे आदि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ढेर सारे लंबित मामलों और न्यायपालिका में देरी से उपरोक्त कथन बहुत स्पष्ट हो जाता है। **"न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है"** सिद्धांत के आधार पर न्याय से इनकार किया जाता है।

D2.0 आजीवक न्याय नीति का उद्देश्य:

इसका उद्देश्य उचित रूप से कम/किफायती लागत पर समय पर स्वच्छ, जिम्मेदार, पारदर्शी, निष्पक्ष और उचित न्याय प्रदान करना है।

D3.0 पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं:

D3.1 न्यायिक प्रणाली में प्रारंभिक नियुक्ति और आगे पदोन्नति राज्य की योग्यता सूची और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 12 वीं कक्षा से होगी।

D3.2 उच्च शिक्षा जैसे बैचलर ऑफ लॉ (BL) प्रोग्राम 4 साल (सर्टिफिकेट + डिप्लोमा + डिग्री), मास्टर ऑफ लॉ (ML) विशेषज्ञता के साथ 1 साल और डॉक्टरेट प्रोग्राम (PhD) रिसर्च द्वारा 4 साल आदि को विशेष रूप से नौकरी पर प्रदान किया जाएगा।

D3.3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक आगे पदोन्नति संबंधित राज्य पीएससी द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगी।

D3.4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का चयन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से यूपीएससी द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

D3.5 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रेणी/वरिष्ठता के आधार पर होंगे।

D3.6 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

D3.7 Decision in any court/case shall be awarded well before 6 months.

D3.8 Decision in any Review Petition in any court shall be provided within a period of 1 month.

D3.9 Appeals in the higher courts shall be submitted online or in the lowest court with all supporting documents and its decision must be made available before 6 months from the date of appeal.

D3.10 There shall be reception in Courts to facilitate in filing the cases in the court.

D3.11 Everyone shall have government advocates free of cost.

D3.12 Appeal in any court shall be to totally free.

D3.13 "Justice must not only be done but must also be seen to be done"

D3.14 Judicial component shall be separated from executives.

D3.15 From application to the decision the complete judicial process shall be made online and through video conferencing.

D3.16 Any one can register online and apply on their own with or without the help of an advocate and appear before the honorable court through video conferencing.

D3.17 All courts in India shall be under the vigilance of CCTV camera. Clips of recording shall be made available to all on reasonable charge basis.

D3.18 There shall be minimum compensation for the period of illegal imprisonment by the court from the Reserve Fund, created for the purpose, on the date of release itself based on the income with intrest he/she would have earned. The concerned officials must be penalised accordingly.

D3.19 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

D3.7 किसी भी अदालत/मामले में निर्णय 6 महीने के काफी पहले प्रदान किया जाएगा।

D3.8 किसी भी अदालत में किसी भी समीक्षा याचिका में निर्णय 1 महीने की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा।

D3.9 ऊपरी न्यायालयों में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ निचली अदालत में अपील प्रस्तुत की जाएगी और उसका निर्णय अपील/ प्रस्तुत करने की तारीख से 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

D3.10 न्यायालय में मामले दर्ज करने में सुविधा के लिए सभी अदालतों में स्वागत कक्ष होगा।

D3.11 हर किसी के पास सरकारी अधिवक्ता नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।

D3.12 किसी भी अदालत में अपील पूरी तरह से मुक्त होगी।

D3.13 "न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए"

D3.14 न्यायिक घटक को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा।

D3.15 आवेदन से निर्णय तक पूरी न्यायिक व्यवस्था ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।

D3.16 कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन अधिवक्ता की सहायता से या बिना स्वयं कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

D3.17 भारत के सभी न्यायालय सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। रिकॉर्डिंग के क्लिप सभी को उचित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

D3.18 इस प्रयोजन के लिए सृजित आरक्षित निधि से न्यायालय द्वारा अवैध कारावास की अवधि के लिए न्यूनतम मुआवजा रिहाई की तारीख को ही ब्याज सहित आय के आधार पर होगा जो उसने अर्जित किया होगा। संबंधित अधिकारियों को तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

D3.19 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

E.0 Ajivak Policy to achieve True Democracy:
(Mission True Proportionate Representation)

E1.0 Introduction:
Democracy in India is only on Paper not in reality. We (Public) are forced to elect a MP, MLA etc. from the members already imposed by Money Lords (national or international). Money is supplied mainly by Money Lords who in turn force politicians to form policies in their favour to accumulate huge money with them, for example **Electoral Bonds**. Party system has introduced a system of whip in the constitution to rein elected members from free exercise of their powers. Hence we are forced to elect a slave instead of our true representative. Now it's time to unite from village/ward level upward to elect true representative who is not a member of any party and free from whip system.

E2.0 Objective of True democracy:
Its objective is to achieve true proportionate representation to setup true democracy.

E3.0 Sailent features to achieve true democracy:
E3.1 No Electronic Voting Machine (EVM) or any other **Machine**, election must be done through **Ballot Paper** only.

E3.2 For voting every voter shall be paid the amount equivalent to one day salary based on highest salary paid in the country.

E3.3 Voter card shall be Aadhar linked. Duplicate voter card shall be cancelled.

E3.4 Election shall be conducted on single day and on the same day the vote counting shall be completed at the counting centre under strict security in presence of the representatives who finally signed and sealed the ballot boxes.

E3.5 State police shall make moving squad and shall be available on phone call.

E.0 सच्चे लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए आजीवक नीति:

(मिशन सच्चा आनुपातिक प्रतिनिधित्व)

E1.0 परिचय:

भारत में लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर है हकीकत में नहीं। हम (जनता) वित्तीय पूंजीपति (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) द्वारा पहले से ही थोपे गए सदस्यों में से एक सांसद, विधायक आदि का चुनाव करने के लिए मजबूर हैं। धन की आपूर्ति मुख्य रूप से वित्तीय पूंजीपतिओं द्वारा की जाती है जो बदले में राजनेताओं को अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे उनके साथ भारी धन जमा कर सकें उदाहरण के लिए **चुनावी बांड** । दलीय व्यवस्था ने निर्वाचित सदस्यों को उनकी शक्तियों के स्वतंत्र प्रयोग से रोकने के लिए संविधान में चाबुक प्रणाली की शुरुआत की है। इसलिए हमें अपने सच्चे प्रतिनिधि के बजाय एक गुलाम चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब समय आ गया है कि गांव/वार्ड स्तर से ऊपर की ओर एकजुट होकर सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है और चाबुक प्रणाली से मुक्त है।

E2.0 सच्चे लोकतंत्र का उद्देश्य:

इसका उद्देश्य सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए वास्तविक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है।

E3.0 सच्चे लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए प्रमुख विशेषताएं:

E3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) या कोई अन्य मशीन नहीं, चुनाव केवल बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाना चाहिए।

E3.2 मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को देश में भुगतान किए गए उच्चतम वेतन के आधार पर एक दिन के वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।

E3.3 वोटर कार्ड आधार लिंक्ड होगा। डुप्लीकेट वोटर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

E3.4 चुनाव एक ही दिन आयोजित किया जाएगा और उसी दिन मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतगणना पूरी की जाएगी, जिन्होंने मतपेटियों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें सील किये थे ।

E3.5 राज्य पुलिस चलती दस्ता बनाएगी और फोन कॉल पर उपलब्ध होगी।

E3.6 Results shall be prepared and signed by poling officers and candidate's representatives available at that booth.

E3.7 Any one found creating disturbance in the voting and counting process must be dealt severely.

E3.8 Candidates shall be allowed to appoint their representatives to record videography during the electoral process and the same may be presented as a proof before the election commission for any appeal to the Commission/Court.

E3.9 All Government/Private employees shall also contest election after taking permission from their employers. After getting elected they must resign.

E3.10 No one shall be allowed to contest election after completion of 60 years of age**.**

E3.11 Once elected, no one shall be allowed to contest again for the same post.

E3.12 Male or Female representatives shall not be less than 1/3rd of the total seats at every level.

E3.13 **Sansad Nidhi** must be zero**.**

E3.14 Public representatives shall not be eligible for any pension. They shall be paid only honorarium during the office tenure after getting elected. For public servants there shall not be break in service for the period of public representation.

E3.15 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

E3.6 उस बूथ पर उपलब्ध मतदान अधिकारियों और उम्मीदवार के प्रतिनिधियों द्वारा परिणाम तैयार और हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

E3.7 मतदान और मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

E3.8 उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी और इसे आयोग/अदालत में किसी भी अपील के लिए चुनाव आयोग के समक्ष सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

E3.9 सभी सरकारी/निजी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से अनुमति लेकर चुनाव लड़ सकेंगे । निर्वाचित होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा। चुनावी कार्यकाल पूरा होने के बाद वे मूल नियोक्ता में शामिल हो सकते हैं।

E3.10 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद किसी को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

E3.11 एक बार निर्वाचित होने के बाद, किसी को भी उसी पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

E3.12 पुरुष या महिला प्रतिनिधि प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों के 1/3 से कम नहीं होंगे।

E3.13 संसद निधि शून्य होनी चाहिए।

E3.14 जन प्रतिनिधि किसी भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें निर्वाचित होने के बाद कार्यालय कार्यकाल के दौरान केवल मानदेय का भुगतान किया जाएगा। लोक सेवकों के लिए लोक प्रतिनिधित्व की अवधि के लिए सेवा में विराम नहीं होगा।

E3.15 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

E4.0 Election Commission:

E4.1 There shall be at least one additional Election Commissioner for every population of 2 crore in every state from State cadre IAS officers based on seniority and proportionate representation basis.

E4.2 All Additional commissioners may form State Election Commission with the senior most as a chairperson known as **State Chief Election Commissioner**.

E4.3 Additional Election commissioners can be removed only by state Assembly by 2/3 majority from both houses if any.

E4.4 Senior most among all additional state commissioners shall join National Election Commission.

E4.5 There shall be eleven members National Election Commission with the senior most amongst them as a Chairperson known as **Chief Election Commissioner of India**.

E4.6 There shall be proportionate representation of SC, ST, OBC and others at every level from the base date of 15.08.1947. Under represented posts shall be filled as a backlog vacancy.

E4.7 Chief Election Commissioner shall not be allowed to join any government position after retirement.

Be Away from Beggars, Be Prosperous.

E4.0 चुनाव आयोग:

E4.1 प्रत्येक राज्य में 2 करोड़ की प्रत्येक जनसंख्या के लिए राज्य संवर्ग के IAS अधिकारियों में से वरिष्ठता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कम से कम एक अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होगा।

E4.2 सभी अतिरिक्त आयुक्त राज्य चुनाव आयोग का गठन कर सकते हैं जिसमें सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है।

E4.3 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को केवल राज्य विधानसभा द्वारा दोनों सदनों,यदि कोई हो, से 2/3 बहुमत से हटाया जा सकेगा।

E4.4 सभी अतिरिक्त राज्य आयुक्तों में सबसे वरिष्ठ, राष्ट्रीय चुनाव आयोग में शामिल होंगे।

E4.5 राष्ट्रीय चुनाव आयोग के ग्यारह सदस्य होंगे जिनमें से सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाएगा।

E4.6 आधार तिथि 15.08.1947 से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। कम प्रतिनिधित्व के पदों को बैकलॉग रिक्ति के रूप में भरा जाएगा।

E4.7 मुख्य चुनाव आयुक्त को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भिखारियों से दूर रहो, समृद्ध बनो।

मक्खलि गोसाल (560-484BC)

आजीवक दर्सन के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल का जन्म उत्तर प्रदेश के आज के श्रावस्ती जिले में हुआ था। स्त्री को भी हाथ जोड़कर अभिवादन करने (अंजलि कर्म) के जन्मदाता थे। मक्खलि गोसाल ने **"दिशाचर"** नामक एक ग्रन्थ लिखा जिसे जलाकर नस्ट कर दिया गया। उनके दर्सन की जानकारी बौद्धों, जैनों और ब्राह्मणों के ग्रंथों से ही उपलब्ध है। आजीवक जीवन पद्धति के चिन्ह तो 8000 साल पहिले ही (सिंधु घाटी की सभ्यता से) इस भूखंड में मिल जाते हैं। लेकिन उसे दार्शनिक रूप देने वाले पहले व्यक्ति मक्खलि गोसाल ही थे। महापद्मनन्द ,चंद्र गुप्त मौर्य प्रथम और बिन्दुसार के समय में यह जीवन पद्धति अपने चरमोत्कर्ष पर था। महान सम्राट अशोक और उनके पोते सम्राट दसरथ ने 3-3 कीमती गुहाएँ आजीवकों के लिए बनवाये। मध्यकाल में आजीवक जीवन पद्धति संत कबीर और संत रविदास की वाणियों द्वारा गोसाल काल की ही तरह चरम पर पहुँच गई थी। आजीवक दर्सन में भिक्षु, मुनि और सन्यासी नहीं होते हैं। वे घर-गृहस्ती वाले लोग हैं और भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं। आजीवकों के पास पुनर्जन्म और पूर्वजन्म नहीं हैं बल्कि पूर्वज और संतान हैं। आजीवक किसी की गुलाम कौम या किसी की अछूत नहीं है। यह भारत में चर्चित वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) में से कुछ भी नहीं है क्योंकि वे अवर्णवादी हैं। आजीवक नियतिवादी यानि प्रकृतिवादी हैं। संसार में सबकुछ प्रकृति के नियम से खुद चलती है। इसे चलने वाला कोई नहीं है। वे भाग्य नहीं कर्म को मानते हैं। भारतीय संविधान, जिसमे सभी के लिए बिना भेद भाव के सामान शिक्षा, रोज़गार, स्वस्थ्य, न्याय और भागीदारी के अवसर की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह आजीवकों के दर्सन पर आधारित है।

मखली घोसाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता को ऐसे नियम दिये जिससे व्यक्ति, परिवार, ग्राम, क्षेत्र, देश समाज व सकल वसुंधरा पर प्रत्येक के लिए खुशी, सुख और समृद्धि की सरलतम उपलब्धता हो सके। उन्होंने स्वयं भी अपने द्वारा

निर्धारित नियमों पर चलते हुए अपने जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। उनके नियमों पर चलने वाले तब से लेकर अब तक अपना-अपना जीवन खुशी, सुख और समृद्धि के साथ पूरा कर रहे हैं। उन नियमों पर आज भी अंशतः दुनिया के सभी लोग चलते हैं। पूर्णतः भी बहुत लोग चलते हैं। जिसके कारण ही समाज देश देशांतर में एकरसता खुशी, सुख और समृद्धि बनी रहती है।

वे नियम यह है कि सभी लोग जो कार्य करने योग्य हैं वे सब प्रतिदिन निर्धारित समय तक उपयोगी काम करते हुए उस की उपज द्वारा जीविकोपार्जन करें और भिक्षावृत्ति से दूर रहें।

दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास उपयोगी काम हो, जिसको करता हुआ अपना जीविकोपार्जन कर सके। काम भी ऐसा हो कि वह निर्बाध गति से चलता रहे। उसके जीवन काल मे वह अप्रचलित न हो। उसी कार्य के द्वारा जुटाई गई समृद्धि से वह अपना गैर कार्यकारी (बुढ़ापा) जीवन को सुचारू रूप से चला सके।

मेरी समझ से आप सभी यही चाहते हैं। यदि ऐसा चाहते हैं तो अपने सीखने के समय का पूर्ण उपयोग करके आपके दिलचस्पी वाले कार्यों को अच्छी तरह सीखें, अपने जीवन में उसे करते हुए उपयुर्क्त खुशी, सुख और समृद्धि को प्राप्त करें।

अपने संसाधनों (1) बुद्धि, (2) बल, (3) समय, (4) धन और (5) संगठन का क्षरण रोकने का उपाय करें और उनके विकास की विधियां विकसित करें। अपने संसाधनों को ऐसी जगह न खर्च करें जहाँ पर शून्य या फिर ऋणात्मक उपज हो। जैसे झगड़ा न करें, झगड़ा लगाने वाले को बहिष्कृत करें। बुद्धि के विकास के लिए तकनीकी और पेशेवर शिक्षा प्राप्त करें। बल के विकास के लिए उपयोगी कार्य करें और मार्शल आर्ट सीखें। उसका सतत अभ्यास करें। समय के विकास के लिए काम में सुन्दरता लाएं और काम की गति में तेजी लाएं। धन को उपयोगी कामों, खुशी, सुख और समृद्धि में उपयोग करें। संगठन समाज का वह अहम हिस्सा है जो पूर्व वर्णित संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उनके विकास की योजना और परियोजना बनाता है, देखभाल करता है, बाहरी आक्रमणों को विफल करता है और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमणकारियों का विनाश करता है।

Ajivak Geet आजीवक गीत

खुशियाँ सुख समृद्धि चाहिए, आओ मिल मंथन करें।
शिक्षित बन संगठन बनायें, अपना जीवन सफल करें ।।

अपने अधिकारों को समझें, कर्तव्यों को न भूलें।
संविधान का पालन करके, निदेशक तत्वों को अमल करें।। (1)

अपने हित पर रहें केंद्रित, दूजों की ना बात करें।
दान पुण्य व स्वर्ग नर्क से, जीवन भर हम दूर रहें।। (2)

वैज्ञानिक जीवन अपनायें, विकसित ज्ञान विज्ञान करें।
जाति धर्म व लिंग आदि पर, भेदभाव को त्याग करें।। (3)

धन बल बुद्धि समय संगठन, इनको सदा संजो के रखें।
इनके ही उपयोग के द्वारा, अपना हम कल्याण करें ।। (4)

आजीवक के इस ज्ञान को समझें, समझ बूझ कर काम करें।
आजीवक बनें सफल बन जायें, भारत का हम मान करें ।। (5)

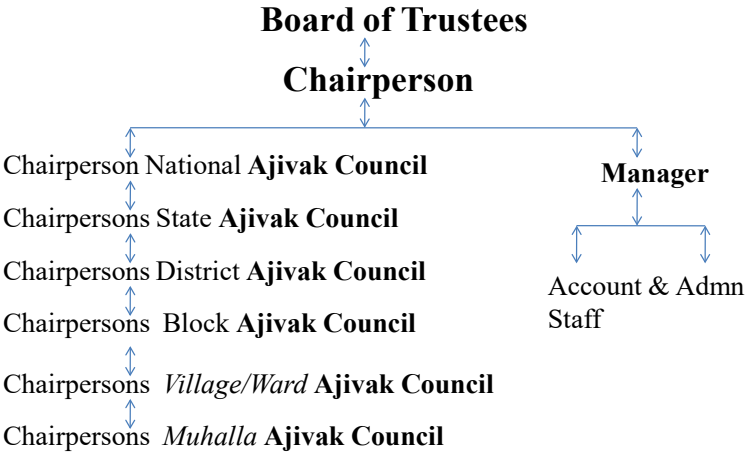

Organization Chart of **AWDRT**

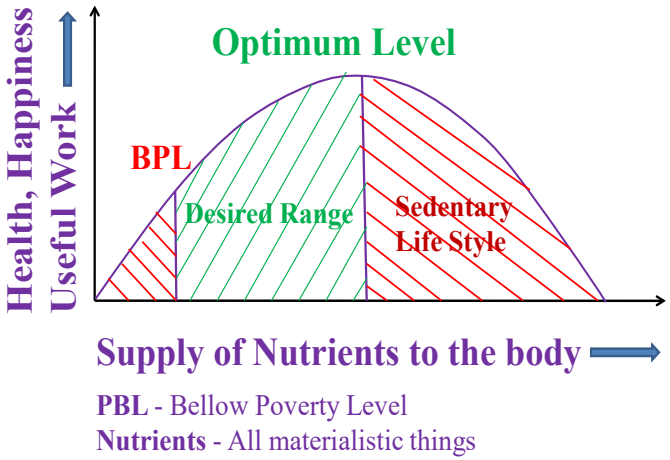

Fig. 2 Health vs. Nutrients

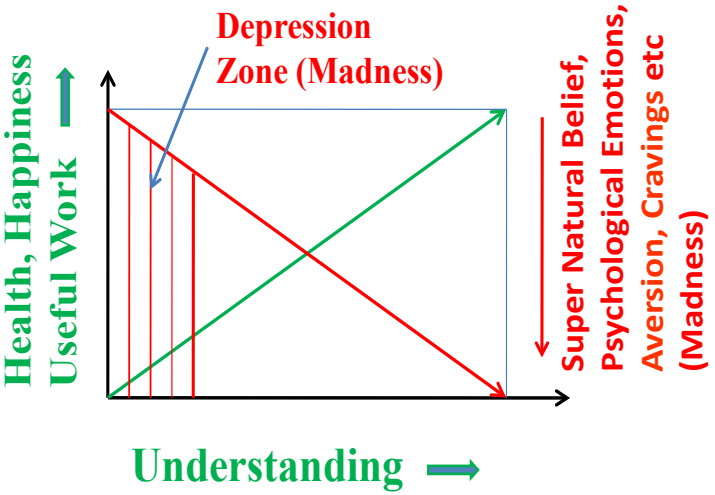

Fig.3 Effect of Understanding, Health, Happines, Useful Work, and Madness